

हिमाचल प्रदेश सरकार



श्रम एवं रोज़गार विभाग

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

2022-23

हिमाचल प्रदेश सरकार



श्रम एवं रोज़गार विभाग

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

2022-23

विषय सूची

क्र० सं०	अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय-1	परिचय	1
2.	अध्याय-2	संगठनात्मक ढांचा	2-6
3.	अध्याय-3	(1) रोजगार प्राप्ति से पहले सेवाएं :	
		(क) कौशल विकास भत्ता योजना-2013	6-9
		(ख) हि० प्र० औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना-2018	9-11
		(ग) मॉडल कैरियर सेंटर	11-13
		(2) रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सेवाएं :	
		(क) रोजगार शाखा	14-15
		(ख) फौरन एम्प्लॉयमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो	15
		(ग) बेरोजगारी भत्ता योजना-2017	15-17
		(घ) विशेष रोजगार कक्ष (अपंगों हेतु)	17
		(ङ) केन्द्रीय रोजगार कक्ष की गतिविधियां	17-18
		(च) रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम	18-20
		(3) रोजगार प्राप्ति उपरान्त सेवाएं	20
4.	अध्याय-4	श्रम तथा श्रम कल्याण	21-31
5.	अध्याय-5	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण	31-33
6.	अध्याय-6	बजट/वास्तविक खर्च वर्ष	33-37
7.	अध्याय-7	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 10-4-2007.	38-41
8.	अध्याय-8	सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 की स्थिति दर्शाती विभागीय ए०पी०आई०ओ०, पी०आई०ओ० व एपीलेट अथोरिटी का विवरण।	41-49

परिचय

श्रम एवं रोजगार विभाग, वर्ष 1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है तब से हिमाचल प्रदेश के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आशावादी लोगों की सेवा में दृढ़संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिये तीन स्तरों पर सेवाएं उपलब्ध करवाता है :-

1. **रोजगार प्राप्ति से पहले सेवाएं.**—विभाग अपने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास तथा जीविका परामर्श/व्यवसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इसके तहत पात्र युवा आवेदकों को 1000/- रुपये, 1500/- रुपये की दर से कौशल विकास भत्ता प्रतिमाह दिया जाता है, जिससे उनकी दक्षता का स्तर बढ़े तथा वे आसानी से अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकें।
2. **रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये सेवाएं.**—विभाग प्रदेश में स्थित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की मांगानुसार पात्र पंजीकृत आवेदक के नामों का सम्प्रेषण करता है। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन-शक्ति की मांग को पूरा करने के लिये केन्द्रीय रोजगार कक्ष के माध्यम से कैम्पस इन्टरव्यू/रोजगार मेलों का आयोजन करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोजगार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।
3. **रोजगार प्राप्ति उपरान्त सेवाएं.**—इसके अन्तर्गत श्रम कानूनों (जिनकी संख्या 28 केन्द्रीय एवं राज्य हैं) के तहत विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कारखानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु स्थापित दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरणों में पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय शिमला व धर्मशाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाता है।

श्रम एवं रोजगार विभाग का संगठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2022-23 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्योरा, बजट विवरण एवं सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित सूचना इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले भागों में दी गयी है।

अध्याय-2
संगठनात्मक ढांचा

2022-23 में श्रम एवं रोजगार विभाग ने माननीय उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री की देख-रेख में कार्य किया जो इस विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार) तथा अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार) द्वारा सहयोग दिया गया।

श्रम एवं रोजगार विभाग के निदेशालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार "विभागाध्यक्ष" के रूप में कार्यरत हैं।

निदेशालय स्तर पर विभाग मुख्यतः चार भागों में विभाजित है:-

1. (क) निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्य श्रमायुक्त की देख-रेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप-श्रमायुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमायुक्त को "मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किया गया है तथा संयुक्त-श्रमायुक्त "अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक" एवं उप-श्रमायुक्त "उप-मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किये गये हैं।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 को कार्यान्वित करने के लिये दो उप-निदेशक कारखाना के पद सृजित हैं जिनमें से एक शिमला में तथा एक ऊना में स्वीकृत है। एक पद सहायक निदेशक (कारखाना) रसायन का रिक्त है।

इनका कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित है :-

1. उप-निदेशक कारखाना-शिमला जिला-शिमला, किन्नौर, विलासपुर, सोलन (बददी, बरोटीवाला, नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)।
2. उप-निदेशक कारखाना, ऊना जिला-कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, मण्डी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति व सिरगौर तथा बददी, बरोटीवाला तथा नालागढ़ का औद्योगिक क्षेत्र।

उप-निदेशक (कारखाना) शिमला, निदेशालय का कार्य जो कि कारखाना खण्ड से सम्बन्धित है, भी देख रहे हैं।

(ग) इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर रोजगार से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिये निदेशक रोजगार की देख-रेख में उप-निदेशक रोजगार तथा रोजगार अधिकारी (केन्द्रीय रोजगार कक्ष) कार्यरत रहे हैं जोकि रोजगार शाखा, राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम, अपंगों हेतु विशेष रोजगार कक्ष, कौशल विकास भत्ता योजना शाखा, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना शाखा, बेरोजगारी भत्ता योजना शाखा तथा केन्द्रीय रोजगार कक्ष के कार्यों की देख-रेख करते हैं।

(घ) विधि शाखा- श्रम एवं रोजगार विभाग में निदेशालय स्तर पर विभागों के समस्त खण्डों से सम्बन्धित वाद-विवादों/न्यायालय मामलों की देख-रेख व निपटान हेतु विधि खण्ड स्थापित है। जिसका पूर्ण कार्य विधि अधिकारी की देख-रेख में किया जाता है, जोकि विभिन्न न्यायालयों जैसे कि श्रम न्यायालय, दीवानी, फौजदारी, राजस्व न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में विभाग के लम्बित मामलों की पैरवी करते हैं।

श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण :

(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 12 श्रम अधिकारी तथा 33 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं। श्रम अधिकारी तथा उनके कार्यक्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. श्रम अधिकारी, शिमला	उप-मण्डल शिमला (शहरी एवं ग्रामीण), उप-मण्डल चौपाल एवं टियोग तहसील।
2. श्रम अधिकारी, रामपुर	रामपुर, रोहडू तथा डोडरा-क्वार उप-मण्डल तथा कुमारसैन तहसील, जिला शिमला तथा उप-मण्डल आनी जिला कुल्लू।

3. श्रम अधिकारी, सोलन	उप-मण्डल सोलन, कण्डाघाट, अर्की तथा कसौली तहसील (बददी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)।
4. श्रम अधिकारी, बददी	तहसील नालागढ़ तथा औद्योगिक क्षेत्र बददी बरोटीवाला
5. श्रम अधिकारी, नाहन	जिला सिरमौर
6. श्रम अधिकारी, मण्डी	जिला मण्डी
7. श्रम अधिकारी, कुल्लू	जिला कुल्लू (उप-मण्डल आनी को छोड़कर) उदयपुर तथा केलांग उप-मण्डल।
8. श्रम अधिकारी, किन्नौर	जिला किन्नौर व उप-मण्डल काजा
9. श्रम अधिकारी, धर्मशाला	जिला कांगड़ा
10. श्रम अधिकारी, चम्बा	जिला चम्बा
11. श्रम अधिकारी, बिलासपुर	जिला बिलासपुर एवं हमीरपुर
12. श्रम अधिकारी, ऊना	जिला ऊना

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदेश को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक खण्ड का मुख्यालय शिमला में स्थापित है जबकि दूसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है।

(ग) रोजगार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 9 जिला रोजगार कार्यालय तथा 65 उप-रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
1.	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शिमला	कुमारसैन, मशोबरा, ठियोग, रामपुर-बुशहर, रोहड़ू, जुब्बल, सुन्नी, चौपाल, चिडगांव, डोडरा-क्वार तथा कुपवी।
2.	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, मण्डी	सुन्दरनगर, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, गोहर, पधर, नेरवीक, बालीचौकी तथा थुनाग।
3.	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, धर्मशाला	पालमपुर, ज्वाली, नूरपुर, लम्बागांव, नगरोटा-सूरियां, बैजनाथ, इन्दौरा, बड़ोह, देहरा, फतेहपुर, कस्बा-कोटला, कांगड़ा, ज्वालामुखी तथा नगरोटा बगवां।
4.	जिला रोजगार कार्यालय चम्बा	डलहौजी, भरमौर, पांगी, चुवाडी, तीसा एवं सलूणी स्थित सुन्दला।
5.	जिला रोजगार कार्यालय, हमीरपुर	नदौन, भोरंज, बड़सर एवं सुजानपुर
6.	जिला रोजगार कार्यालय, बिलासपुर	घुमारवीं एवं श्री नैना देवी जी
7.	जिला रोजगार कार्यालय, कुल्लू	बजार एवं आनी
8.	जिला रोजगार कार्यालय, सोलन	नालागढ़, अर्की, कसौली एवं बददी
9.	जिला रोजगार कार्यालय, नाहन	पांवटा साहिब, राजगढ़, शिलाई, संगडाह, सराहा एवं कमरऊ।
10.	जिला रोजगार कार्यालय, केलांग	काजा एवं उदयपुर
11.	जिला रोजगार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांगपिओ।	पूह एवं निघार
12.	जिला रोजगार कार्यालय, ऊना	अम्ब, हरोली एवं बंगाणा
13.	सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला।	इस कार्यालय के अधीन कोई कार्यालय नहीं है
14.	सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0 विश्वविद्यालय, पालमपुर।	-यधोपरि -
15.	निदेशालय श्रम एवं रोजगार में स्थित	केन्द्रीय रोजगार कक्ष
16.	निदेशालय श्रम एवं रोजगार में स्थित	विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु)

3. वर्ष 2022-23 में श्रम एवं रोजगार विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/नियुक्ति तथा पदोन्नति का विवरण :

1. नई नियुक्तियाँ :		1
(1)	सहायक निदेशक रसायन अनुबन्ध आधार पर	2
(2)	जूनियर ऑफिस एसिस्टेंट (आई0टी) अनुबन्ध आधार पर	1
(3)	लिपिक, अनुबन्ध आधार पर	1
(4)	स्टेनो टाइपिस्ट अनुबन्ध आधार पर	3
(5)	चपडासी अनुबन्ध आधार पर	
2. पदोन्नतियाँ :		2
(1)	जिला रोजगार अधिकारी	3
(2)	श्रम अधिकारी	5
(3)	रोजगार अधिकारी	1
(4)	श्रम निरीक्षक	2
(5)	कनिष्ठ आशुलिपिक	
3. पदस्थापित		24
(1)	कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापित	
4. 20 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक-7 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया।		
5. सेवानिवृत्त :		3
(1)	प्रथम श्रेणी	5
(2)	द्वितीय श्रेणी	6
(3)	चतुर्थ श्रेणी	

श्रम एवं रोजगार विभाग में दिनांक 31-3-2023 तक कुल 479 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 179 पद रिक्त हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	खाली पदों की प्रतिशतता
1.	श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार (भा.प्र.से.)	1	1	-	-
2.	पीठासीन अधिकारी	2	2	-	-
3.	संयुक्त श्रमायुक्त	1	-	1	-
4.	उप-श्रमायुक्त	1	1	-	-
5.	उप-निदेशक रोजगार	1	-	1	-
6.	उप-निदेशक कारखाना	1	1	-	-
7.	सहायक निदेशक कारखाना, (मकैनिकल/कैमिकल)	2	2	-	-
8.	जिला रोजगार अधिकारी	13	12	1	-
9.	अधीक्षक, ग्रेड-I	1	1	-	-
10.	श्रम अधिकारी	12	10	2	-
11.	रोजगार अधिकारी	20	14	6	-
12.	विधि अधिकारी	1	1	-	-
13.	निजी सहायक	1	1	-	-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	खाली पदों की प्रतिशतता
14.	अधीक्षक, ग्रेड-II	12	10	2	—
15.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	2	—	—
16.	वरिष्ठ सहायक	62	16	46	—
17.	सांख्यिकीय सहायक	11	4	7	—
18.	श्रम निरीक्षक	33	23	10	—
19.	प्रोग्राम प्लानिंग ऑफिसर	1	1	—	—
20.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	1	—	—
21.	आशुटकक	4	1	3	—
22.	चालक	5	4	1	—
23.	लिपिक/कनिष्ठ सहायक	60	48	12	—
24.	जूनियर ऑफिस असिस्टेंट	98	34	64	—
25.	दफ्तरी	4	1	3	—
26.	धौकीदार	13	3	10	—
27.	चपड़ासी	115	105	10	—
28.	फ्राश	1	1	—	—
	जोड़	479	300	179	37.36%

श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन वित्त वर्ष 2022-23 में 112 कार्यालय कार्यरत हैं।

(क) विभागीय 40 कार्यालय जो सरकारी भवनों में हैं.—श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण शिमला तथा धर्मशाला, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो शिमला एवं पालमपुर, जिला रोजगार कार्यालय कुल्लू, किन्नौर, उप-रोजगार कार्यालय, तीसा, बंगाणा, हरौली, बन्जार, बालीचौकी, धुनाग, बददी, पांवटा-साहिब, भोरंज, ज्वाली, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा-बगवां, लम्बागांव, काजा, रामपुर, चिढ़गांव, रोहड़ू, चौपाल, डोडरा-क्वार तथा निचार, बड़ोह, श्रम कार्यालय, शिमला, रामपुर, बददी, कुल्लू, मण्डी, चम्बा, तथा श्रम निरीक्षक कार्यालय रोहड़ू, नूरपुर, जोगिन्द्रनगर व पांवटा।

(ख) विभागीय 44 कार्यालय जो विभागीय भवनों में हैं.—श्रम एवं रोजगार निदेशालय शिमला, उप-निदेशक कारखाना शिमला, उप-निदेशक कारखाना ऊना, विशेष रोजगार कक्ष (अपंगों हेतु), केन्द्रीय रोजगार कक्ष, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, मण्डी, धर्मशाला, जिला रोजगार कार्यालय, चम्बा, ऊना, बिलासपुर, नाहन, हमीरपुर, सोलन तथा उप-रोजगार कार्यालय, पांगी, चुवाड़ी, घुमारवीं, अम्ब, सरकाघाट, जोगिन्द्रनगर, गौहर, सुन्दरनगर, नालागढ़, सराहन, संगड़ाह, नादौन, सुजानपुर, नगरोटा-सूरियां, इन्दौरा, फतेहपुर, पालमपुर, देहरा तथा उदयपुर, पूह, श्रम कार्यालय, सोलन, बिलासपुर, ऊना व नाहन तथा श्रम निरीक्षक कार्यालय, टाहलीवार, अम्ब, सुन्दरनगर, हमीरपुर, देहरा, पालमपुर, नालागढ़, नाहन।

(ग) शेष 28 कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	प्राप्त प्रायकलन	2022-23 में कुल प्राप्त बजट (कैपिटल बक्स) (1) 4250-पूजीगत परिव्यय-00-अन्य सामाजिक सेवाएं-201-श्रम-01 (मुख्य निर्माण कार्य) (योजना) (सून) 1.03 करोड़। (2) 4250- पूजीगत परिव्यय-00-अन्य सामाजिक सेवाएं-789-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम-01-भवन निर्माण विकास कार्यक्रम (सून) 0.12 करोड़।
			आबंटित बजट
1.	उप-रोजगार कार्यालय, करसोग, जिला मण्डी, हि0 प्र0।	₹ 68,67,600/-	(1) ₹ 56,67,600 /- (2) ₹ 12,00,000 /- कुल ₹ 68,67,600 /-
2.	जिला रोजगार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकॉमपिओ, हि0 प्र0।	₹ 3,17,800/-	(1) ₹ 3,17,800 /- कुल ₹ 3,17,800 /-
3.	उप-रोजगार कार्यालय, कगरऊ, जिला शिरगौर, हि0 प्र0।	₹ 78,27,700/-	(1) ₹ 43,14,600 /- कुल ₹ 43,14,600 /-
	वित्त वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्त बजट का ब्यौरा। (1) 4250-पूजीगत परिव्यय-00-अन्य सामाजिक सेवाएं-201-श्रम-01 (मुख्य निर्माण कार्य) (योजना) (सून) 1.03 करोड़। (2) 4250-पूजीगत परिव्यय-00-अन्य सामाजिक सेवाएं-789-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम-01-भवन निर्माण विकास कार्यक्रम (सून) 0.12 करोड़। कुल ₹ 1.15 करोड़।		वित्त वर्ष 2022-23 में (1) 4250-पूजीगत परिव्यय-00-अन्य सामाजिक सेवाएं- 201-श्रम-01 (मुख्य निर्माण कार्य) (योजना) (सून) शीर्ष में कुल प्राप्त बजट ₹ 1,03,00,000 की राशि का ही व्यय हुआ है। (2) 4250-पूजीगत परिव्यय-00-अन्य सामाजिक सेवाएं- 789-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम-01-भवन निर्माण विकास कार्यक्रम (सून) में कुल प्राप्त बजट ₹ 12,00,000 की राशि का ही व्यय हुआ है।

नोट.—तालिका में अंकित कार्यालय उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में ही सम्मिलित है।

अध्याय-3

रोजगार प्राप्ति से पहले व रोजगार प्राप्ति उपरान्त सेवाएं

जैसा कि इसी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन के परिचय में वर्णित है। विभाग हिमाचल प्रदेश की जनता को तीन स्तरों पर सेवाएं प्रदान करता है।

(1) रोजगार प्राप्ति से पहले सेवाएं

(क) कौशल विकास भत्ता योजना 2013 :

- स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम, 2013 अर्थात् कौशल विकास भत्ता योजना को हि0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-श्रम (डी) 1-2/2013 दिनांक 21-5-2013 द्वारा अधिसूचित किया गया तथा अधिसूचना की तिथि से लागू किया जा रहा है।

- **योजना का उद्देश्य**—कौशल विकास भत्ता योजना का उद्देश्य हि0 प्र0 के पात्र बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु भत्ता प्रदान करना है, ताकि युवा अपने कौशल का विकास कर पायें और अपनी रुचि के क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार अर्जित करने हेतु समर्थ हों।
- **कौशल विकास भत्ते की दर**—योजना के अन्तर्गत पात्र हिमाचली आवेदकों को रु0 1000/- प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को रु0 1500/- प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ता प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है।
- **कौशल विकास भत्ता हेतु पात्रता शर्तें**—कौशल विकास भत्ता हेतु पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं :
 1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी हो,
 2. बेरोजगार (न सरकारी, न निजी रोजगार, न ही स्वरोजगार) हो,
 3. कम से कम 8वीं पास हो (मिस्ट्री, बडई, लुहार व फलम्बर आदि में प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है),
 4. आयु 16 से लेकर 36 वर्ष से कम (विधवाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष से कम),
 5. पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम,
 6. आवेदन की तिथि को आवेदक हि0 प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिये,
 7. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल विकास पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा/रही हो।
- **कौशल विकास भत्ता तथा लामार्थियों का विवरण**—योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31-03-2023 तक 3,95,867 अभ्यर्थियों को रु0 397.30 करोड़ की राशि कौशल विकास भत्ते के रूप में विभाग द्वारा वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष अनुसार व जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है—

वित्तीय वर्ष	लामार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राशि रु0 में
2013-14	42,077	13,96,48,500
2014-15	52,815 (21,126 ऐसे लामार्थी हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष से जारी कर रहे हैं और 31,689 आवेदक इस वित्तीय वर्ष में इनरोल किए गए)	28,69,15,854
2015-16	67,753 (जिनमें कि 27,221 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 40,532 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	40,00,74,500
2016-17	80,606 (जिनमें कि 28,729 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 51,877 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	53,68,09,731
2017-18	90,428 (जिनमें कि 40,349 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 50,079 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	58,46,26,000
2018-19	80,656 (जिनमें कि 32,136 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 48,520 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	56,78,42,500
2019-20	73,210 (जिसमें कि 32,441 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 40,769 इस वित्तीय वर्ष में नए अभ्यर्थी हैं)	45,89,30,000

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राशि रु० में
2020-21	55,060 (जिसमें कि 40,642 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 14,418 इस वित्तीय वर्ष में नए अभ्यर्थी हैं)	26,10,60,000
2021-22	48,628 (जिसमें कि 14,082 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 34,546 इस वित्तीय वर्ष में नए अभ्यर्थी हैं)	26,28,81,500
2022-23	71,926 (जिसमें कि 30,566 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 41,360 इस वित्तीय वर्ष में नए अभ्यर्थी हैं)	47,42,23,000
कुल	3,95,867 (रिपीट कर रहे अभ्यर्थियों को नहीं जोड़ा गया है।)	3,97,30,11,585

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लाभार्थियों एवं भत्ते का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	लाभार्थी			वितरित भत्ता राशि रु० में
		पिछले वित्तीय वर्षों से जारी	इस वित्तीय वर्ष के नए	कुल	
1.	कांगड़ा	6759	10092	16851	114299000
2.	मण्डी	5939	8278	14217	93640500
3.	सिरमौर	1574	3884	5458	38102500
4.	ऊना	2332	3766	6098	39554000
5.	हमीरपुर	3997	2683	6680	34059000
6.	बिलासपुर	2285	3227	5512	39301500
7.	कुल्लू	1615	1930	3545	23998000
8.	चम्बा	1615	2369	3984	31268000
9.	शिमला	1720	2391	4111	28353000
10.	सोलन	2574	2583	5157	29538500
11.	किन्नीर	144	137	281	1908000
12.	लाहौल-स्पीति	12	20	32	201000
	कुल ..	30,566	41,360	71,926	47,42,23,000

- कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रशिक्षण.-कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रशिक्षणों बारे गाईडलाइन्ज/सूची तैयार की गई। इन गाईडलाइन्ज को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जो कि विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

इन गाईडलाइन्ज अनुसार कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रशिक्षण मुख्यतः

- (1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलीटेक्नीकल कॉलेजों द्वारा दिए जा रहे डिप्लोमा प्रशिक्षण व सर्टिफिकेट कोर्स, एनएसक्यूएफ (NSQF), एनसीवीटी (NCVT) एससीवीटी (SCVT) तथा सरकार द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रशिक्षण व कोर्स।
- (2) राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन कौंसिल से मान्यता प्राप्त होटल प्रबन्धन व हास्पीटैलिटी में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट प्रशिक्षण व कोर्स।
- (3) कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा करवाए जा रहे डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण, सरकार व इसके निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों और राष्ट्रीय स्तर के निजी क्षेत्र के संस्थान जिनमें कि राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (NIIT), एप्टेक (Aptech), जेटकिंग (Jetking), एआईएसईसीटी (AISECT), हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स समिति (HCL) शामिल हैं द्वारा कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी में करवाए जा रहे डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रशिक्षणों (बशर्ते निजी प्राधिकृत संस्थानों को जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुशासित किया गया हो) के अतिरिक्त।
- (4) जिला स्तरीय समितियों द्वारा प्राधिकृत संस्थानों के मुख्यतः कटिंग, टेलरिंग, ब्यूटीशियन, कढ़ाई, बुनाई, फैशन डिजाइनिंग, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, मोबाईल रिपेयर, चम्बा रूमाल एम्ब्रॉयडरी, मूर्ति कला, बैम्बू आर्टिकल, इलेक्ट्रीशियन, हैंडलूम, शॉर्ट हैंड टाइपिंग आदि में दिए जा रहे प्रशिक्षण जो कि युवाओं को स्वयं रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक हैं, योजना के अन्तर्गत मान्य हैं।
- (5) नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार की अधिक सम्भावनाओं के अनुरूप नर्सिंग में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट प्रशिक्षण के अलावा बीएससी नर्सिंग एवं नर्सिंग में अन्य स्नातक प्रशिक्षणों जो सरकारी व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से किये जा रहे हों को भी योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2015 से शामिल किया गया है।
- (6) इसके अतिरिक्त हि0 प्र0 सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के चुनिन्दा महाविद्यालयों द्वारा **B. Voc. Education (Retail Management and Tourism & Hospitality)** को भी फरवरी, 2017 से योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया।

इस समय लगभग 1200 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों/निकायों (सरकारी संस्थाओं तथा सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थान जिन्हें कि जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुशासित/इम्पैनल किया गया है) द्वारा करवाए जा रहे प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मान्य हैं। प्रशिक्षण संस्थानों/निकायों बारे सूचना विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

कौशल विकास भत्ते का भुगतान: कौशल विकास भत्ते का भुगतान पात्र प्रशिक्षणार्थियों को सीधा उनके बैंक खातों में ऑनलाइन अदा किया जाता है।

(ख) हि0 प्र0 औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना, 2018:

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों में रोजगार प्राप्त युवाओं को 2 वर्ष तक कौशल विकास भत्ता प्रदान करने बारे लिए गए निर्णय को लागू करने के आशय से विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना, 2018 को 2-11-2018 को अधिसूचित किया गया और क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत योजना की अधिसूचना की तिथि अर्थात् 2-11-2018 से उद्योगों में नियुक्त नए कामगारों/कर्मचारियों/प्रशिक्षुओं जो निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरा करते हैं, को नौकरी/इन्टरशिप के दौरान कौशल विकास हेतु रु0 1000/- प्रति माह तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को रु0 1500/- प्रतिमाह की दर से, औद्योगिक कौशल विकास भत्ता का दो वर्ष (24 माह) तक प्रावधान है, ताकि उद्योगों में कार्यरत युवा ऑनजॉब प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के बेहतर विकल्पों का लाभ उठा सकें।

पात्रता शर्तें :

1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी हो,
2. हिमाचल प्रदेश में निजी औद्योगिक संस्थान जोकि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एम) (आई) के अन्तर्गत पंजीकृत हो, में अधिसूचना की तिथि अर्थात् 2-11-2018 और इसके उपरान्त नया कामगार/कर्मचारी/प्रशिक्षु नियुक्त किया गया हो तथा कुल वेतन/स्टाइपेण्ड रु0 15000 या इससे कम हो।
3. शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है
4. आयु 18 से लेकर 36 वर्ष से कम हो
5. नियोक्ता द्वारा मुफ्त में आवासीय सुविधा प्रदान न की गई हो
6. पहले 24 माह तक कौशल विकास भत्ता या बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न किया हो। लेकिन 24 माह से कम समय हेतु कौशल विकास भत्ता या बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की स्थिति में शेष समय हेतु औद्योगिक कौशल विकास भत्ता हेतु अन्य पात्रता मापदण्ड पूरा करने पर पात्र होंगे।
7. वह सरकार का बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए
8. वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।
9. आवेदन की तिथि को आवेदक हि0 प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो।

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2023 तक 4,246 पात्र आवेदकों को रु0 4.86 करोड़ औद्योगिक कौशल विकास भत्ता प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष अनुसार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राशि रु0 में
2019-20	202	8,63,000
2020-21	2,740 (जिनमें कि 180 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 2,560 इस वित्तीय वर्ष में नए अभ्यर्थी हैं)	84,34,000
2021-22	2,613 (जिनमें कि 1,474 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 1,139 इस वित्तीय वर्ष में नए अभ्यर्थी हैं)	2,57,84,500
2022-23	1,673 (जिनमें कि 1,328 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 345 इस वित्तीय वर्ष में नए अभ्यर्थी हैं)	1,35,94,000
कुल ..	4,246 (रिपीट कर रहे अभ्यर्थियों को नहीं जोड़ा गया है)	4,86,75,500

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लाभार्थियों एवं भत्ते का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	लाभार्थी			वितरित भत्ता राशि रु० में
		पिछले वित्तीय वर्षों से जारी	इस वित्तीय वर्षों से जारी	कुल	
1.	कांगडा	88	43	131	1632500
2.	मण्डी	68	49	117	1187500
3.	ऊना	143	41	184	1577000
4.	सिरमौर	169	48	217	2318000
5.	हमीरपुर	52	20	72	683000
6.	बिलासपुर	29	14	43	575000
7.	कुल्लू	40	7	47	475000
8.	चम्बा	19	7	26	262000
9.	शिमला	44	19	63	669000
10.	सोलन	662	97	759	4078000
11.	किन्नीर	14	0	14	137000
12.	लाहौल-स्पीति	0	0	0	0
	कुल -	1328	345	1,673	1,35,94,000

व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार परामर्श: विभाग प्रदेश के युवाओं का व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा कांऊंसलिंग से सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन भी करता है तथा इसी आशय से जिला रोजगार कार्यालयों को मॉडल कैरियर सेंटर में बदला जा रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी जिला रोजगार कार्यालयों में व बड़े महाविद्यालयों में युवाओं के मार्गदर्शन के लिए रोजगार सेल (Cell) खोले जाने से सम्बन्धित घोषणा के क्रियान्वयन हेतु भी विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस आशय से हि० प्र० सरकार द्वारा दिनांक 20-11-2018 को गाईडलाईन्स जारी की गई है। युवाओं को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिलों में उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में हि० प्र० सरकार के 16 विभागों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों की टीमें गठित की गई हैं और इन टीमों द्वारा सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास, रोजगार के विभिन्न उपलब्ध विकल्पों, रोजगार व स्वरोजगार अवसरों बारे तथा युवाओं से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं बारे उचित जानकारी/मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग 1 कैरियर कौंसलर एवं 11 यंग प्रोफेशनल भी नियुक्त किए गए हैं, जो कि विभाग में व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा कांऊंसलिंग से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नवम्बर 2018 से दिनांक 31-03-2023 व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा कौंसलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,20,105 युवा लाभान्वित हुए हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 42,643 युवा लाभान्वित हुए हैं।

इसके अतिरिक्त स्टेशनरी छपवाने के लिये 2,34,000 रु० का बजट प्रावधान रखा गया था। जिससे 50,000 फार्म, 3,00,000 X-1 कार्ड व 50,000 X-10 कार्ड तथा कार्यालय में प्रयोग होने वाले अन्य फार्म छपवाये गये और पूरे बजट को व्यय किया गया।

(ग) युवाओं के व्यावसायिक तथा जीविका मार्गदर्शन के लिये आदर्श आजीविका केन्द्र (Model Career Centers) की स्थापना :

श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं भारत सरकार ने 20 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) योजना शुरू की है। जिसका उद्देश्य युवाओं को विभिन्न प्रकार की रोजगार सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) योजना का एक महत्वपूर्ण घटक मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार मौजूदा रोजगार एक्सचेंजों को मॉडल कैरियर केन्द्रों में बदलना है। हिमाचल प्रदेश के लिए 2 मॉडल कैरियर केन्द्रों ऊना और शिमला की जगह कुल्लू को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। तदनुसार बृहदी औद्योगिक क्षेत्र सहित शेष जिलों में एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण के साथ मॉडल कैरियर केंद्र

स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन जिला किन्नौर और लाहौल-स्पीति को अब एशियाई विकास बैंक परियोजना से बाहर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में मॉडल कैरियर सेंटर को चलाने के लिये 11 यंग प्रोफेशनल व 1 कैरियर सलाहकार की नियुक्ति की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार के अनुदान से साथ जिला रोजगार ऊना को मॉडल कैरियर सेंटर को परिवर्तित कर लिया गया है और जिला रोजगार कार्यालय कुल्लू को मॉडल कैरियर सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है। कांगड़ा, हमीरपुर, मण्डी व चम्बा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अन्य जिला रोजगार कार्यालय जैसे, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, विलासपुर व उप-रोजगार कार्यालय बददी, कस्बा कोटला का कार्य जल्द ही सभी कोडल औपचारिकताओं को पूर्ण करने के साथ पूरा कर दिया जाएगा।

मॉडल कैरियर केन्द्र की स्थिति का नाम :

क्र० सं०	जिला का नाम	कुल प्राप्त प्राक्कलन	ब्यौरा
1	2	3	4
1.	ऊना	58,78,200 /-	हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार के अनुदान के साथ मॉडल कैरियर सेंटर, ऊना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर दिया गया है।
2.	हमीरपुर	4,33,28,571 /-	एशियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ मॉडल कैरियर सेंटर हमीरपुर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 26-07-2022 को उद्घाटन किया गया है।
3.	सिरमौर	5,61,39,000 /-	सिरमौर में मॉडल कैरियर सेंटर बनाने हेतु विभाग के नाम भूमि स्थानांतरित की गई है। विभाग द्वारा पत्र संख्या श्रम (ए 1-4/2017 दिनांक 14-03-2020 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
4.	मण्डी	2,36,35,000 /-	एशियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ मॉडल कैरियर सेंटर मण्डी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा दिनांक 11-07-2022 को उद्घाटन किया गया है।
5.	बददी, जिला सोलन	3,54,20,679 /-	एशियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ मॉडल कैरियर सेंटर बददी भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के चरण में है और निकट भविष्य में पूरा होने की उम्मीद है।
6.	कांगड़ा	1,03,70,800 /-	एशियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ वर्तमान मॉडल कैरियर सेंटर कांगड़ा का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा दिनांक 30-03-2022 को उद्घाटन किया गया है।
7.	कुल्लू	27,92,500 /- (प्राप्त /आबंटित रु० 16,75,500 /- 60 प्रतिशत)	भारत सरकार द्वारा स्वीकृति कुल बजट रु० 27,92,500 /- जिसमें से 60 प्रतिशत पहली किस्त की राशि रु० 16,75,500 /- का उपयोग जिला रोजगार अधिकारी, कुल्लू द्वारा किया गया है। व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा दिनांक 21-12-2020 भारत सरकार को भेज दिया गया है।

			कुल बजट का 40 प्रतिशत रुपये की दूसरी किस्त की राशि ₹ 11,17,000/- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-एलएण्डई एमसीसी-2014-भाग-7 दिनांक 21-12-2020 द्वारा कथित बजट के आवंटन के लिए मामला भारत सरकार से उठाया गया था। जिसके अन्तर्गत 3,94,000/- रुपये भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं।
8.	किन्नौर	3,03,18,200/-	मॉडल कैरियर सेंटर किन्नौर को स्टेट फंडिंग के साथ स्थापित किया जा रहा है। विभाग के नाम पर भूमि हस्तांतरित कर दी गई है।
9.	सोलन	4,21,38,000/-	प्रशासनिक स्वीकृति बजट की राशि ₹ 4,21,38,000/-सरकार से प्राप्त हो चुकी है कार्यालय पत्र संख्या श्रम (सी) 2-2/2013-मुक्त दिनांक 21-01-2021 और इससे सम्बन्धित जिला रोजगार अधिकारी और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को इस कार्यालय पत्र संख्या एलएण्डई (विल्डिंग) 2/2020-मॉडल कैरियर सेंटर सोलन, दिनांक 28-01-2021 को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है। मॉडल कैरियर सेंटर सोलन के भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के चरण में है और निकट भविष्य में पूरा होने की उम्मीद है।
10.	चम्बा	4,60,22,350/-	एशियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ मॉडल कैरियर सेंटर चम्बा का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 24-07-2022 को उद्घाटन किया गया है
11.	बिलासपुर	1,24,63,407/-	अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार) हि0 प्र0 सरकार के कार्यालय पत्र संख्या श्रम (सी) 5-2/2016 दिनांक 20-03-2020 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
12.	कस्बा कोटला (धर्मशाला)	4,03,94,000/-	एशियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ मॉडल कैरियर सेंटर कस्बा-कोटला (कांगडा) के भवन का निर्माण का किया जा रहा है निकट भविष्य में पूरा होने की उम्मीद है।
13.	उदयपुर (लाहौल- स्पीति)	-	मॉडल कैरियर सेंटर, उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति ग्रामीण विकास विभाग के भवन में एशियाई विकास बैंक की सहायता से स्थित होगा।
14.	काजा (लाहौल- स्पीति)	-	मॉडल कैरियर सेंटर, काजा जिला लाहौल-स्पीति ग्रामीण विकास विभाग के भवन में एशियाई विकास बैंक की सहायता से स्थित होगा।

2. रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये सेवाएं

(क) रोजगार शाखा :

हिमाचल प्रदेश में इस समय 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, 9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र व 65 उप-रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं। ये रोजगार कार्यालय अभ्यर्थियों/जनता को पंजीकरण, सेवा नियोजन, व्यवसायिक मार्गदर्शन सूचना देने में सहायता करते हैं व रोजगार बाजार सूचना भी एकत्रित करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फौरन इम्प्लायमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो का निदेशालय श्रम एवं रोजगार में गठन किया है ताकि विदेश जाने के इच्छुक कामगारों का प्राईवेट एजेंटों से होने वाले शोषण से उन्हें बचाया जा सकें।

01-04-2022 से 31-03-2023 तक विभाग द्वारा की गई उपलब्धियां

क्र. सं.	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियां	सम्प्रेषण	सेवा नियोजन		सजीव पंजिका (पंजीकृत आवेदकों की संख्या)	नियोजित आवेदक
					सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बिलासपुर	12827	132	817	53	819	53848	2419
2.	चम्बा	10954	5514	1771	27	847	60573	0
3.	हमीरपुर	13631	1226	5043	192	352	60671	3000
4.	कांगड़ा	39073	379	16233	94	2025	164483	6394
5.	किन्नीर	1501	794	254	13	0	8102	0
6.	कुल्लू	10233	214	6694	29	1192	53111	74
7.	लाहौल स्पीति	675	0	0	0	0	5155	0
8.	मण्डी	38850	1	6440	303	448	158653	5101
9.	शिमला	12338	3484	8615	139	528	70846	985
10.	सिरमौर	9452	3512	769	0	712	59626	0
11.	सोलन	12257	3431	28087	37	774	48646	0
12.	ऊना	10663	238	6361	75	1286	63259	3342
	दिव्यांग आवेदक	(2262)	212	564	85	0	(17375)	0
	जॉब फेयर	(4)	-	-	-	(2754)	-	-
	जोड़ ..	172454	19,137	81,648	1,047	8,983	8,06,973	21,315

टिप्पणी.—दिव्यांग आवेदकों के पंजीकरण एवं सजीव पंजिका के आंकड़े जिलों के आंकड़ों में शामिल हैं, अतः कुल योग में शामिल नहीं है।

जॉब फेयर द्वारा नियोजन के आंकड़े जिलों के आंकड़ों में शामिल हैं, अतः कुल योग में शामिल नहीं है।

शिक्षावार विभाजन

स्नातकोत्तर	71832
स्नातक	133775
+2	368719
दसवी	205178
दसवी से कम पढ़े-लिखे	27113
अनपढ़	356
कुल योग ..	8,06,973

जातिवार विभाजन

अनुसूचित जाति	212828
अनुसूचित जनजाति	47562
ओ.बी.सी.	108428
अन्य	438155
कुल योग ..	8,06,973

स्त्री/पुरुष विभाजन

पुरुष	444881
स्त्री	362092
कुल योग ..	8,06,973

शहरी ग्रामीण विभाजन

शहरी	152084
ग्रामीण	654889
कुल योग ..	8,06,973

(ख) फौरन एम्प्लॉयमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो :

हिमाचल प्रदेश के विशेषकर कुशल, अर्ध-कुशल एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त इच्छुक प्रार्थियों को विदेश में रोजगार के अवसर जुटाने के दृष्टिगत तथा उन्हें पासपोर्ट, वीजा व उत्प्रवासी अधिनियम व विनियम के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार विभाग में वर्ष, 1994 में फौरन एम्प्लॉयमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो की स्थापना की गई है। यह ब्यूरो उत्प्रवासी अधिनियम के अन्तर्गत महासंरक्षी उत्प्रवासी, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जनशक्ति निर्यात किए जाने के उद्देश्य हेतु पंजीकृत है। 01-04-2021 से 31-03-2022 में एक आवेदक का पंजीकरण हुआ है।

(ग) बेरोजगारी भत्ता योजना-2017 (01-04-2022 से 31-03-2023 तक) :

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना माह अप्रैल, 2017 में अधिसूचित कर दी थी तथा माननीय मुख्य मंत्री हि0 प्र0 ने 15-4-2017 को इसका शुभारम्भ चम्बा में कर दिया था। इस योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति (कम से कम 50 प्रतिशत स्थाई विकलांगता) के लिए रु0 1500/- (रु0 एक हजार पांच सौ) प्रतिमाह की दर से तथा अन्य सभी श्रेणियों के आवेदकों को रु0 1000/- (रु0 एक हजार) प्रतिमाह की दर से कुल 2 वर्ष की अवधि हेतु भत्ता देय है। इस योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार से हैं-

इस योजना के दृष्टिगत वे सभी शिक्षित बेरोजगार आवेदक बेरोजगारी भत्ता के पात्र होंगे, जो निम्नलिखित मानदंड पूर्ण करते हों :

- (क) आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात् न सार्वजनिक, न निजी क्षेत्र और न ही स्वरोजगार में हो) और हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए।

- (ख) आवेदक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो
- (ग) आवेदन करने की तिथि को एक वर्ष पहले से आवेदक हिमाचल प्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
- (घ) आवेदन करने की तिथि से ठीक पूर्व के वित्त वर्ष में सभी स्रोतों से आवेदक की पारिवारिक आय रु0 2.00 लाख (दो लाख) से कम होनी चाहिए, इसमें उसके पति/पत्नी की आय भी शामिल है।
- (ङ) आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- (च) आवेदक सरकार का बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए
- (छ) आवेदक किसी ऐसे अपराध में दण्डित न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।
- (ज) आवेदक किसी कोर्स का नियमित छात्र नहीं होना चाहिए
- (झ) आवेदक कौशल विकास भत्ता प्राप्त न कर रहा हो

योजना की पूरी जानकारी विभागीय वेबसाइट <http://admis.hp.nic.in/unemp> पर उपलब्ध है तथा पात्र युवा को भत्ता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने उपरान्त आवेदन प्रपत्र और स्व-प्रमाणित घोषणा (Self Certified Declaration) प्रपत्र का प्रिंट लेकर तथा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न करके सम्बन्धित रोजगार कार्यालय जहाँ पर आवेदक का नाम दर्ज है में जमा करवाने पड़ते है। योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31-03-2023 तक 1,36,106 अभ्यर्थियों का रु0 197.15 करोड की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में विभाग द्वारा वितरित की जा चुकी है।

योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31-03-2023 तक दिए गए भत्ते तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण।

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राशि रुपये
2017-18	24,129	17,40,56,000 / -
2018-19	31,012 (16,656 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	28,32,01,000 / -
2019-20	50,347 (28,905 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	37,75,78,000 / -
2020-21	68,074 (25,319 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	37,58,71,000 / -
2021-22	73,937 (26,228 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	55,93,40,500 / -
2022-23	34,886 (14,869 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	20,15,25,500 / -
	कुल 1,36,106	1,97,15,72,000 / -

इस वित्तीय वर्ष (2022-23) का जिलावार ब्यौरा

क्र० सं०	जिला	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (रुपये में)
1.	बिलासपुर	2,295	1,25,02,500
2.	चम्बा	2,607	2,04,74,500
3.	हमीरपुर	2,638	1,56,47,000
4.	कांगडा	5,630	3,43,32,000
5.	किन्नीर	172	16,12,000
6.	कुल्लू	2,641	1,52,65,000
7.	लाहौल-स्पीति	60	5,83,000

8.	मण्डी	7,548	4,06,73,000
क्र० सं०	जिला	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (रुपये में)
9.	शिमला	3,791	1,81,29,500
10.	सिरमौर	2,981	2,28,65,000
11.	सोलन	1,264	83,81,500
12.	ऊना	3,259	1,10,60,500
	जोड़ ..	34,886	20,15,25,500

(घ) श्रम एवं रोजगार निदेशालय में स्थापित विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु) द्वारा वर्ष 2022-23 में किये गये कार्यकलापों का विवरण :

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रमारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष, 1976 में विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाएं/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ऊपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 4 प्रतिशत का कार्मिक विभाग (एपी-III) की अधिसूचना संख्या: (एपी)-सीएफ (4)-4/2020, दिनांक 22-06-2020 द्वारा पदों में नियुक्ति के लिये आरक्षण आरक्षित 4 प्रतिशत सीटें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व सिलाई केन्द्र और विभागीय 100 अंकों में विशिष्ट अंक के विरुद्ध आरक्षण प्रदान करना रोस्टर प्रथम 1 से 25वां, दूसरा 25वां से 50वां, तीसरा 50वां से 75वां व चौथा 75वां से 100वां।

विशेष रोजगार कार्यालय (विशेष रूप से दिव्यांगों के लिये) नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध पात्र आवेदकों के नाम सम्प्रेषित/प्रायोजित करता है, जोकि अपेक्षित शर्तों और नियमों को पूरा करते हैं। 1-4-2022 से 31-03-2023 के दौरान, कुल 2,262 नये विशेष योग्य व्यक्तियों को विशेष रोजगार कार्यालय के सजीव पंजिका पर लाया गया, इस अवधि में कुल संख्या 17,375 पर लाई गई। 85 विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार में रखा गया और 564 समान रूप से एबलड इस विशेष रोजगार कार्यालय को अधिसूचित 212 रिक्तियों के विरुद्ध प्रायोजित किये गए।

विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगों हेतु) द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में किये गये कार्यकलापों का विवरण सक्रिय पंजिका (अपंग कक्ष)

क्र०सं०	दृष्टिदोष दिव्यांग	श्रवण एवं वाक दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग	अन्य	कुल
1.	1918	1438	13483	536	17375

क्र०सं०	पंजीकरण	अधिसूचित आरक्षित रिक्तियां	नियुक्तियों के विरुद्ध सम्प्रेषण	सेवा नियोजन	सजीव पंजिका
1.	2262	212	564	85	17375

(ङ) केन्द्रीय रोजगार कक्ष की गतिविधियां :

दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 तक केन्द्रीय रोजगार कक्ष द्वारा किये कार्य का लेखा-जोखा :

हिमाचल प्रदेश के इच्छुक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की कड़ी में केन्द्रीय रोजगार कक्ष ने वर्ष 2021-22 में अपने कार्यों को विस्तार देने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन-शक्ति की मांग को पूरा करने के प्रयास किये गये। हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों

में स्थित रोजगार कार्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू (एक नियोक्ता के लिए) करवाये गये ताकि निजी क्षेत्र में कामगारों की मांग को पूरा किया जा सके। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	कैम्पस इन्टरव्यू	सेवा नियोजन
2022-23	341	5635

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में रोजगार मेलों (एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए) का आयोजन किया गया है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	सेवा नियोजन
2022-23	04	2754

हिमाचल प्रदेश में स्थापित उद्योगों तथा हाईड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों में हिमाचलियों को 70 प्रतिशत रोजगार की मोनिटरिंग.-विभाग के क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी/जिला रोजगार अधिकारी/श्रम अधिकारी तथा श्रम निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं कि वे अपनी सामान्य निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार के विषय को भी देखेंगे। जिन उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत से कम हिमाचलियों को रोजगार दिया गया है उनकी सूचना उद्योग विभाग तथा एम0पी0पी0 एण्ड पावर विभाग को भेजी जाती है। 01-04-2022 से 31-03-2023 तक 179 उद्योगों का निरीक्षण किया गया जिसमें कामगारों की संख्या 70 प्रतिशत से अधिक है तथा 01-04-2022 से 31-03-2023 तक विभाग को किसी भी विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण ठेकेदारों से प्राप्त नहीं हुआ।

(च) रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम :

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के रोजगार से सम्बन्धित सूचना नियमित रूप से एकत्रित करते हैं। रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में जिला स्तर पर रोजगार के आंकड़े वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र को ही व्यक्त करता है। जो कि अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों व निजी क्षेत्रों के उन नियोक्ताओं जिनके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं हैं, उनसे यह सूचना एकत्रित की जाती है। रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं और निजी क्षेत्र के उन नियोक्ताओं जिनके पास 25 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और जो कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं हों, से आंकड़े रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अन्तर्गत नियम, 1960 के तहत एकत्रित किये जाते हैं। रोजगार के आंकड़े निजी क्षेत्र के छोटे प्रतिष्ठानों, जिसके पास 10 से 24 कर्मचारी कार्यरत हैं, से स्वैच्छिक आधार पर एकत्रित किए जाते हैं। इस विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है, कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी क्षेत्र की इकाइयों में अधिक से अधिक हिमाचली युवाओं को रोजगार प्राप्त हो। रोजगार कार्यालय द्वारा निजी क्षेत्र की विशेषकर नई इकाइयों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है, व उन्हें रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के कुल 288 निरीक्षण किए गए हैं।

निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	कुल निरीक्षण
128	162	288

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार की स्थिति का विश्लेषण विभाग द्वारा समय-समय पर भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों में किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

अवधि त्रैमासान्त	प्रतिष्ठानों की संख्या		अनुमानित रोजगार	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
त्रैमासान्त मार्च/2021	4,417	1,824	2,79,365	1,95,791
त्रैमासान्त मार्च/2022	4,472	2,032	2,81,097	2,12,030

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच अंगों में त्रैमासान्त मार्च 2022 में नियोक्ताओं की संख्या एवं अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		अर्ध-सरकारी केन्द्रीय		अर्ध-सरकारी राज्य		स्थानीय नियोक्ता	
	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार
मार्च/21	120	12,514	2,939	1,94,778	806	26,220	490	43,446	62	2,407
मार्च/22	130	12,597	2,983	1,98,694	805	22,678	492	44,826	62	2,302

निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च 2022 में नियोक्ताओं की संख्या एवं अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान		लघु संस्थान	
	25 या अधिक कर्मचारी वाले संस्थान		10 से 24 कर्मचारियों वाले संस्थान	
	प्रतिष्ठानों की संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठानों की संख्या	अनुमानित रोजगार
त्रैमासान्त मार्च/21	1,162	1,83,801	662	11,990
त्रैमासान्त मार्च/22	1,391	1,99,249	641	12,781

सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च 2022 में औद्योगिक वर्गीकरण में संस्थानों की संख्या एवं अनुमानित रोजगार

क्र० सं०	व्यवसाय	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
		संस्थानों की संख्या	अनुमानित रोजगार	संस्थानों की संख्या	अनुमानित रोजगार
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि, शिकार, वानिकी, मत्स्य शिकार एवं पशु व्यवसाय।	153	16023	11	556
2.	खनिज एवं खाद्य	6	222	1	73
3.	उत्पादन	83	3223	1212	170464
4.	विद्युत, गैस एवं जल	164	30221	61	5323
5.	निर्माण	140	36640	22	1479
6.	थोक, व्यक्तिगत एवं घर-गृहस्थी सामान एवं परचून व्यापार।	28	626	45	3234
7.	यातायात एवं भण्डार	38	7196	15	556
8.	होटल एवं रेस्तरां	14	793	228	6116
9.	सूचना एवं संचार	38	6383	30	2423

10.	वित्तीय बीमा	896	17327	40	2224
11.	असली सम्पदा, व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यकलाप।	132	8845	1	35
12.	लोक प्रशासन, रक्षा, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याएं।	660	55144	5	108
13.	शिक्षा	1860	74901	340	17646
14.	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	215	23303	21	1793
15.	कला, मनोरंजन, अन्य सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं।	45	250	0	0
कुल ..		4,472	2,81,087	2,032	2,12,030

विवरण-1
वर्ष 2022-23 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार के त्वरित अनुमान

त्रैमासान्त मार्च 2022 को कुल रोजगार			त्रैमासान्त दिसम्बर 2021 को कुल रोजगार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	
2,81,097	2,12,030	4,93,127	4,75,156

विवरण-2
औसत महिला रोजगार

त्रैमासान्त मार्च 2022 को कुल रोजगार			त्रैमासान्त दिसम्बर 2021 को कुल रोजगार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	
68,912	40,362	1,09,304	1,08,203

विवरण-3
कुल औसत तुलनात्मक रोजगार

त्रैमासान्त मार्च 2022 को कुल रोजगार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिशत परिवर्तन
त्रैमासान्त 31-03-2021 को कुल रोजगार	त्रैमासान्त 31-03-2022 को कुल रोजगार	
4,75,156	4,93,127	3.7

विवरण-4
औसत तुलनात्मक महिला रोजगार

त्रैमासान्त मार्च 2022 को कुल रोजगार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिशत परिवर्तन
त्रैमासान्त 31-03-2021 को कुल महिला रोजगार	त्रैमासान्त 31-03-2022 को महिला रोजगार	
1,08,203	1,09,304	1.0

3. रोजगार प्राप्ति उपरान्त सेवाएं

श्रम कानूनों जिनकी संख्या 28 (केन्द्रीय एवं राज्य) है, के तहत विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कारखानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना-यह सेवाएं श्रम विभाग के श्रम खण्ड के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

श्रम तथा श्रम कल्याण

श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों की सुविधा के लिये विभागों को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोजगार खण्ड में रोजगार कार्यालयों की गतिविधियां हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

श्रम खण्ड—हिमाचल प्रदेश में श्रम खण्ड का कार्य, 27 केन्द्रीय तथा 2 राज्य श्रम अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को प्रदेश में लागू करना है। इन श्रम कानूनों में कारखानों, विभिन्न संस्थानों एवं विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के विस्तृत रूप में प्रावधान किये गये हैं। इन कारखानों/संस्थानों में औद्योगिक शान्ति, रौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध, गुणवत्ता, उत्पादकता को सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में विकास/उन्नति सुनिश्चित करने के भी प्रावधान किये गये हैं। कामगारों को सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो, बाल श्रमिक एवं बन्धुआ मजदूरी पर रोक लगे, इस सम्बन्ध में भी प्रावधान हैं। इन सबको सुनिश्चित करने के लिये श्रम विभाग के अधिकारी एवं निरीक्षक समय-समय पर निरीक्षण करते हैं, अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में अनियोग चलाये जाते हैं। औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये कामगारों एवं संस्थान मालिकों/प्रबन्धकों के मध्य हस्तक्षेप करते हैं एवं उचित परामर्श देते हैं तथा जो भी शिकायतें विभिन्न स्तर पर प्राप्त होती हैं उनका निवारण भी करते हैं। श्रम खण्ड में ही कारखाना शाखा भी है जिसके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण और कामगारों की सुरक्षा, दुर्घटनाएं रोकने और उनकी सेवा शर्तों का कार्यान्वयन, सुनिश्चित किया जाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रम स्थिति—औद्योगिक सम्बन्धों का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है, जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समझौता व्यवस्था, औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निपटाने में और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। 10 जिला मुख्यालयों पर स्थित श्रम अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी (परियोजना) रामपुर बुशहर और श्रम अधिकारी बद्दी को भी अपने-अपने क्षेत्र के लिये समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में जहां श्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं वहां पर जिला रोजगार अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहां पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक भी समझौता अधिकारी के रूप में औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहां पर श्रम अधिकारी, उप-श्रमायुक्त/संयुक्त-श्रमायुक्त और श्रमायुक्त औद्योगिक विवादों को निपटाने में हस्तक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत, जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार कार्यरत हों, उन संस्थानों द्वारा वर्क्स कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। ये वर्क्स कमेटियां भी औद्योगिक शान्ति बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश की श्रम स्थिति संतोषजनक रही है।

31-03-2022 तक श्रम खण्ड में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनमें कार्य कर रहे प्रस्तावित कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	प्रस्तावित कामगारों की संख्या
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	5,337	3,72,350
2.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	139	7,478

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	प्रस्तावित कामगारों की संख्या
3.	ट्रेड यूनियन्ज अधिनियम, 1926	1,464	21,452
4.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	10	302
5.	अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 (क) प्रमुख नियोक्ता (ख) ठेकेदार	51 96	10,099 3,308
6.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (क) प्रमुख नियोक्ता (ख) ठेकेदार	18,68 11,080	2,18,898 1,50,335
7.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	30,888	21,03,641
8.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948	11,042	3,05,720

सांख्यिकीय विवरण

श्रम खण्ड की वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की उपलब्धियों/कार्यों का ब्यौरा नीचे दी गई तालिकाओं पर वर्णित है। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किए निरीक्षणों, सक्षम न्यायालयों में दायर अभियोगों की संख्या, न्यायालय द्वारा निर्णित अभियोगों की संख्या एवं दण्डित किये जाने पर जुर्माने की राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

तालिका-1

क्र० सं०	अधिनियम का नाम	01-4-2022 से 31-3-2023 तक किये गये निरीक्षणों की संख्या	01-4-2022 से 31-3-2023 तक न्यायालय में दायर किये गये धालानों की संख्या	01-4-2022 से 31-3-2023 तक न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि (रुपये) में
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	838	10	15	3,95,000
2.	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	5770	217	221	12,14,400
3.	प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961	730	2	11	33,450
4.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	3608	50	82	73,900
5.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	3751	113	109	4,02,000
6.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	4	0	0	0
7.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	1047	18	10	13,700
8.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	1028	04	04	13,000
9.	उत्पादन भुगतान अधिनियम, 1972	1296	28	36	4,27,000
10.	औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946	294	0	0	0
11.	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय त्यौहार के अवकाश आकस्मिक एवं चिकित्सा अवकाश) अधिनियम, 1969	1149	3	3	3,000
12.	मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	59	0	0	0

क्र० सं०	अधिनियम का नाम	01-4-2022 से 31-3-2023 तक किये गये निरीक्षणों की संख्या	01-4-2022 से 31-3-2023 तक न्यायालय में दाखर किये गये चालानों की संख्या	01-4-2022 से 31-3-2023 तक न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि (रुपये) में
13.	अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	105	4	0	0
14.	बाल एवं किशोर श्रमिक (निषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986	2931	1	3	65,000
15.	समान वेतन अधिनियम, 1976	770	3	8	37,000
16.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लायमेंट एण्ड कंडीशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	550	2	3	5,000
17.	श्रमजीवी और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विविध प्रावधान अधिनियम, 1955	0	0	0	0
	कुल -	23,930	455	505	26,82,450

तालिका-2
उपादान अदायगी अधिनियम, 1972

क्रमांक	31-03-22 तक के पिछले अनिर्णित मामले	01-04-2022 से 31-03-2023 तक प्राप्त मामले	कुल मामलों की संख्या (खाना संख्या 2 एवं 3)	31-3-2023 तक निर्णित मामलों की संख्या	31-3-2023 तक अनिर्णित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
(क) नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निपटाए गए मामले।	547	385	932	438	494
(ख) एपीलेट अथोरिटी द्वारा निपटाई गई अपीलों का ब्यौरा।	40	82	122	31	91

तालिका-3
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

क्रमांक	31-3-2022 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या	1-4-2022 से 31-3-2023 तक प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	कुल मांग पत्रों की संख्या खाना संख्या (2 एवं 3)	समझौते के दौरान धारा 12(3) के तहत निपटाये गये मामले	असफल मामलों की संख्या जो 12(4) के अधीन भेजे गये	31-3-2023 को लम्बित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	339	862	1201	659	202	340

तालिका-4
औद्योगिक रोजगार (स्टैंडिंग आर्डरज) अधिनियम, 1946

क्रमांक	अधिनियम का नाम औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 अधिनियम के तहत आने वाले संस्थान	स्टैंडिंग आर्डरज जिनको 31-03-2023 तक प्रमाणित करवा लिया गया है
1.	2674	445

तालिका-5
हि0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969

क्रमांक	अधिनियम के अधीन बाजारों की संख्या	31-3-2023 के अन्त में दुकानों की संख्या	प्रस्तावित कामगारों की संख्या	31-3-23 के अन्त में वाणिज्य संस्थानों की संख्या	31-3-2023 तक कामगारों की संख्या	31-3-2023 तक कुल संस्थानों की संख्या	31-3-2023 के कुल प्रस्तावित कामगारों की संख्या
1.	121	85,454	43,604	21,421	35,785	1,06,875	79,389

तालिका-6
निम्न अधिनियमों में प्राप्त शिकायतें

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31-3-2022 को लम्बित शिकायतों की संख्या	1-4-2022 से 31-3-23 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग (खाना संख्या 3 एवं 4)	श्रम निरीक्षकों द्वारा निर्मित शिकायतों की संख्या	श्रम निरीक्षकों द्वारा भुगतान करवाई गई धनराशि (रु०) में	लाम्बान्वित कामगारों की संख्या	31-3-2023 को अनिर्णित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	485	1698	2183	1586	2,15,07,074	1439	597
2.	हि. प्र. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	0	0	0	0	0	0	0
3.	हि. प्र. लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम	9	2	11	5	55000	10	6
4.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	0	0	0	0	0	0	0

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत निदेशालय स्तर पर 31-03-2022 को 123 विवाद सन्दर्भ हेतु लम्बित थे। वित्त वर्ष 2022-23 (01-04-2022 से 31-03-2023) के दौरान 199 विवाद उक्त अधिनियम की धारा 12 (4) के अन्तर्गत निदेशालय में प्राप्त हुए अतः कुल विवाद 322 हो गए। इस वित्त वर्ष (01-04-2022 से 31-03-2023) के दौरान 157 मामले विभिन्न श्रम न्यायालयों को निर्णय हेतु भेजे गए तथा उक्त अधिनियम की धारा 12(5) के अन्तर्गत 68 निरस्त किए गए, तथा 31-03-2023 को 97 मामले शेष हैं।

भाग-I

01-04-2022 से 31-03-2023 तक विभाग द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत अर्जित आय का ब्यौरा :

क्र० सं०	अधिनियम का नाम	01-04-22 तक संस्थानों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत संस्थानों की संख्या	पंजीकरण शुल्क एकत्रित (रु० में)	वर्ष के दौरान नवीनीकृत संस्थानों की संख्या (यदि कोई हो)	लाईसेंस/ नवीनीकरण शुल्क एकत्रित (रु० में)	अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर एकत्रित जुर्माना (रु० में)	वर्ष के अन्त में पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कुल राशि एकत्रित (रु० में) (कॉलम 3 + कॉलम 5+ कॉलम 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	5,306	31	0	0	0	3,95,000	5,337	3,95,000
2.	दुकान एवं यागिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	1,05,782	2,271	28,49,456	3,012	17,84,797	12,14,400	1,04,070	58,48,653
3.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	13,288	264	2,92,923	1,981	1,56,418	13,700	12,948	4,63,041
4.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	136	3	1,600	0	0	0	139	1,600
5.	अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	51	0	0	0	0	0	51	0
6.	ट्रेड यूनियन्ज अधिनियम, 1926	1,443	21	105	0	0	0	1,464	105
7.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	10	0	0	0	0	0	10	0
8.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एण्ड कन्डीशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	1,780	84	1,39,380	8	1,275	0	1,864	1,40,655
कुल भाग-I ..		1,27,796	2,674	32,83,464	5,001	19,42,490	16,23,100	1,25,883	68,49,054

भाग-II

क्र०सं०	अधिनियम का नाम	अर्जित आय
1.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	73,900
2.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	4,02,000
3.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	13,000
4.	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	4,27,000
5.	औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	0
6.	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय त्वीहार के अवकाश आकरिमक एवं चिकित्सा अवकाश) अधिनियम, 1969	3,000
7.	बाल श्रमिक (निषेद्ध एवं विनियम) अधिनियम, 1986	65,000
8.	भवन एवं सन्निर्माण कामगारों (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एण्ड कंडीशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	5,000
9.	भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	2,000
10.	प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961	33,450
11.	श्रमजीवी और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्त) विविध प्रावधान अधिनियम, 1955	0
12.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	10,000
13.	समान वेतन अधिनियम, 1976	37,000
	कुल (भाग-II)	10,71,350

भाग-III

अधिनियम का नाम	कुल एकत्रित राशि (रु० में)
भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत अर्जित आय	26,43,07,628
कुल (भाग-III)	26,43,07,628
कुल (भाग-I)	68,49,054
कुल (भाग-II)	10,71,350
कुल (भाग-I + भाग-II + भाग-III)	27,22,28,032

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित बोर्ड और समितियों का समय-समय पर गठन किया जाता है :-

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बोर्ड/समिति का नाम	गठन का उद्देश्य
1.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/पुनः निर्धारण बारे में सरकार को परामर्श देना
2.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/पुनः निर्धारण बारे में सरकार को परामर्श देना
3.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	राज्य सलाहकार श्रम ठेका बोर्ड	ठेकेदारी वर्ग पद्धति पर जहाँ पर सम्भव हो सके, रोक लगाना, और जहाँ रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनियम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें सरकार को देना

4.	बन्धुआ मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1976	जिला तथा रागी उप-मण्डल स्तरों पर सतर्कता समितियाँ	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना उन्मूलन/पुनर्वास सम्बन्धित कार्यवाही
5.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एण्ड कन्डीशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	राज्य स्तरीय बोर्ड	हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों के कल्याण के लिए हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड का गठन किया गया है
6.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एण्ड कन्डीशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	राज्य स्तरीय समिति	इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है जो समय-समय पर राज्य सरकार को परामर्श देगी

न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुनः निर्धारण, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड एवं न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती रही है। इसका उद्देश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संशोधन करने में परामर्श देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 19 अधिसूचित व्यवसायों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के वेतन में वित्तीय वर्ष 2022-23 में न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के परामर्श के पश्चात् समस्त अनुसूचित व्यवसायों में अकुशल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर 350/- ₹0 प्रतिदिन या ₹0 10,500/- प्रतिमाह प्रथम अप्रैल, 2022 से निर्धारित किया है, जो कि पिछले न्यूनतम वेतन से 25 रुपए अधिक है। अर्ध-कुशल, कुशल तथा उच्च-कुशल कामगारों के वेतन में भी 25 रुपए प्रतिदिन की दर से बढ़ौतरी की गई है जो कि 01-04-2022 से लागू है। वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के अनुसार समस्त अनुसूचित व्यवसायों में अकुशल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर ₹0 350/- से बढ़ा कर 375/- प्रतिदिन या ₹0 11,250/- की दर से पुनर्निर्धारित की गई है जिसकी अधिसूचना सरकार द्वारा कर दी गई है। यह दर बढ़ौतरी अर्ध-कुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कामगारों को 01-04-2023 से देय है। जिन अनुसूचित व्यवसायों में बढ़ौतरी की है वे निम्न प्रकार से हैं:-

1. कृषि
2. सड़क और भवन निर्माण पत्थर पिसाई क्रशिंग/पत्थर तुड़ान
3. फौरेस्टरी एवं टिम्बरिंग ऑपरेशन
4. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट
5. दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय
6. रसायन एवं रसायन उत्पाद
7. इन्जीनियरिंग उद्योग
8. चाय बागान

9. विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड (क) में परिभाषित।
10. होटल/रेस्तरां
11. निजी शैक्षणिक संस्थान
12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं
13. फार्मास्यूटिकल उद्योग
14. अस्पताल, नर्सिंग होम एवं क्लिनिक
15. घरेलू कामगार
16. सफाई कर्मचारी नियोजन
17. सुरक्षा सेवाएं
18. मंदिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं
19. टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत कामगार
20. इसके अतिरिक्त सुरंग के अन्दर कार्यरत कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम वेतन की दरों पर 20 प्रतिशत बढ़ौतरी देय है।
21. हिमाचल प्रदेश के गैर जन-जातीय क्षेत्रों में 'निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं' में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी देय है।
22. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी देय है। अगर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं जन-जातीय क्षेत्र में हैं तो इसमें कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ौतरी देय है।
23. महिला-पुरुष कामगारों को समान कार्य के लिए (व्यस्क या अव्यस्क) एक समान वेतन निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त सभी अनुसूचित व्यवसायों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोजगार अधिकारियों को तथा सांख्यिकीय सहायक (श्रम) को भी "निरीक्षक" नियुक्त किया है। यदि निरीक्षक स्तर पर न्यूनतम वेतन एवं वेतन भुगतान सम्बन्धी शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं होता है तो सरकार ने अपने-अपने क्षेत्रों में सभी न्यायिक दण्डाधिकारी (मैजिस्ट्रेटों)/सिविल न्यायाधीशों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सुनवाई करने और निर्णय करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त किया है ताकि वे न्यूनतम वेतन सम्बन्धी वेतन दावों का निपटारा कर सकें।

कामगारों को समय-समय पर देय वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अपने-अपने क्षेत्रों में सभी न्यायिक दण्डाधिकारी (मैजिस्ट्रेटों)/सिविल न्यायाधीशों को वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत प्राधिकारी नियुक्त किया है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित कामगार अपनी शिकायत दायर करके निपटारा करवा सकते हैं।

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये योजना बनाना

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये योजना बनाई गई है। बन्धुआ मजदूर अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत सभी जिला तथा उप-मण्डल स्तर पर बन्धुआ मजदूरी से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करने के लिए सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किसी भी जिले में इस वर्ष बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है।

बाल श्रमिकों का उन्मूलन कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिक प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रदेश के 10 अन्य विभागों के अधिकारियों को बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निरीक्षक की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम/पद	विभाग का नाम
1	2	3
1.	समस्त उप-मण्डल अधिकारी, हि०प्र०	राजस्व
2.	आयुक्त नगर निगम, शिमला	स्थानीय निकाय
3.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हि०प्र०	आर.डी. व पंचायती राज
4.	समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, हि० प्र०	राजस्व
5.	समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हि० प्र०	उद्योग
6.	समस्त श्रम अधिकारी, हि० प्र०	श्रम एवं रोजगार
7.	समस्त जिला रोजगार अधिकारी, हि० प्र०	-उक्त-
8.	समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत हि० प्र०।	स्थानीय निकाय
9.	समस्त हेड कांस्टेबल एवं उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी, हि० प्र०।	पुलिस
10.	समस्त जिला/तहसील कल्याण अधिकारी, हि० प्र०	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
11.	समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, हि० प्र०	-उक्त-
12.	समस्त बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, हि० प्र०	-उक्त-
13.	समस्त पंचायत निरीक्षक, हि० प्र०	आर.डी. व पंचायती राज
14.	समस्त जिला/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी, हि० प्र०	पर्यटन
15.	स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम	स्थानीय निकाय
16.	समस्त जिला/सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
17.	समस्त माप एवं तोल निरीक्षक, हि० प्र०	माप एवं तोल
18.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी निरीक्षक, हि० प्र०	आबकारी एवं कराधान

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

भवन व अन्य सन्निर्माण गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार ने राज्य में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 बनाये हैं, जिन्हें दिनांक 4-12-2008 को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा-18 के अन्तर्गत भवन व अन्य निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के कल्याण हेतु हि० प्र० भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 5-3-2009 को किया गया है। यह बोर्ड भवन व निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पेंशन सुविधा, प्रसूती लाभ, मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु अग्रिम राशि, अपंगता पेंशन, औजार खरीदने हेतु ऋण, अन्तिम संस्कार सहायता, मृत्यु प्रसुविधा लाभ, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, शादी हेतु वित्तीय सहायता, पारिवारिक पेंशन एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के लिए पारगमन आवास सुविधा और महिला कामगार लाभार्थी के स्वयं पति/पत्नी और दो बच्चों तक कौशल विकास भत्ता इत्यादि कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान करता है। भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और उसके अन्तर्गत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार जो भी भवन व अन्य सन्निर्माण सम्बन्धित कार्य होंगे उनके कुल व्यय का 1 प्रतिशत उपकर उपरोक्त कल्याण बोर्ड में जमा होगा तथा इस कल्याण निधि से उपरोक्त

लाभकारी योजनाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाता है। प्रत्येक कामगार जिसने पूर्व 12 मास के दौरान 90 दिन या अधिक दिनों तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य किया हो वह बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एवं लाभ प्राप्त करने के पात्र है और जिस कामगार ने पिछले 12 मास के दौरान 90 दिन या उससे अधिक मनरेगा में कार्य किया हो वह भी बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एवं लाभ प्राप्त करने के पात्र है।

कामगारों को पहचान पत्र प्रदान करना

श्रम विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी औद्योगिक इकाइयों व निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कामगारों व ठेका श्रमिकों को कारखाना व परियोजना के प्रबन्धक पहचान-पत्र कामगारों को जारी कर रहे हैं जिनका सत्यापन सम्बन्धित श्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। पहचान-पत्रों को प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम, हिमाचल प्रदेश श्रम ठेका नियम, हिमाचल प्रदेश अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार नियम तथा औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) नियम में संशोधन किया गया है जिसमें कामगारों को पहचान-पत्र जारी करना सुनिश्चित किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, शिमला में स्थित है। इस योजना के अन्तर्गत कारखाने तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंशदान का प्रावधान है। यह अधिनियम उन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या इससे अधिक है तथा 15000/- रुपये मासिक वेतन वाले कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाते हैं। उक्त अधिनियम के प्रावधान हिमाचल प्रदेश में 30,888 औद्योगिक संस्थानों में लागू है तथा 21,03,641 कामगारों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। यह सूचना क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि के कार्यालय, शिमला द्वारा प्रदान की गई है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948

क्षेत्रीय निदेशक ई0एस0आई0 कॉरपोरेशन का कार्यालय बद्दी (ई0एस0आई0 कॉम्प्लैक्स) में स्थित है। यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निशुल्क चिकित्सा और प्रसुति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहाँ पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे शैडों में लागू नहीं होता। जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 21,000/- रुपये व इससे कम है वह इसके अन्तर्गत आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के अंशदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेश सरकार देती है। यह योजना हिमाचल प्रदेश के सात जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मण्डी, ऊना, बिलासपुर तथा कांगडा में लागू है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948 के प्रावधान हिमाचल प्रदेश में 11,042 औद्योगिक संस्थानों में लागू है तथा 3,05,720 कामगारों को उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन ई0एस0आई0सी0 द्वारा किया जाता है।

कामगारों के लिए शिक्षा योजना

हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कामगारों को शिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है। श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कामगारों को श्रम अधिनियमों एवं नियमों में निहित सेवा शर्तें, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में अवगत करवाना तथा उत्पादकता, औद्योगिक सम्बन्ध और दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। कामगारों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन शिक्षित किया जाता है। कामगारों को शिक्षित करके दोहरे लाभ की आशा की जा सकती है। एक तो इससे कार्यकुशलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह शिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए 15 फरवरी, 2019 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का विधिवत उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 5 मार्च, 2019 को मण्डी में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए योजना को शुरू करने की विधिवत घोषणा की गई। पात्र लाभार्थियों को जागरूकता शिविरों के माध्यम से ब्रोशर प्रदान कर उन्हें लोक मित्र केन्द्रों में मुफ्त पंजीकरण करवाने का आग्रह किया गया और उक्त पेंशन योजना को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। आठ क्षेत्रीय भाषाओं में जिंगल के माध्यम से भी हिमाचल प्रदेश के समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित कर योजना पर प्रकाश डाला गया। दिनांक 23-06-2023 तक असंगठित क्षेत्र में 47,524 श्रमिकों को प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।

योजना की पात्रता:

1. घरेलू कामगार, बोझ उठाने वाले, भट्टे पर काम करने वाले, मोची कचरा उठाने वाले, धोबी, फेरी वाले, कृषक कामगार, भवन निर्माण कार्य के कामगार, हस्तकला/हतकरघा, चर्म, आड़ियो/वीडियो कार्य/मिड-डे मील कार्यकर्ता/स्वयं रोजगार एवं मनरेगा व समान अन्य व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं।
2. पंजीकरण की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है तथा लोक मित्र केन्द्रों में लाभार्थियों का मुफ्त पंजीकरण किया जाता है।
3. अधिकतम मासिक आय 15,000 रुपये माह या उससे कम है
4. ई.एस.आई ई.पी.एफ., आयकरदाता व पेंशन धारी पात्र नहीं हैं

योजना का लाभ:

1. पंजीकृत कामगार को 60 वर्ष पूर्ण होने पर 3000/- रुपये प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित है
2. पंजीकृत कामगार की मृत्यु के उपरान्त उसके आश्रित पति/पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन

मासिक अंशदान:

1. न्यूनतम 55/- रुपये अधिकतम 200/- रुपये (आयु अनुसार)
 2. मासिक अंशदान का बराबर भाग भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना की तरह एक नई योजना जिसमें लघु उद्यमी व स्व-रोजगार व्यक्तियों के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा एन.पी.एस.-टी (NPS-T) योजना शुरू की गई।

अध्याय-5

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण शिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल-स्पीति का काजा उप-मण्डल है तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण धर्मशाला में स्थापित किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, घम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू तथा लाहौल-स्पीति का लाहौल भाग शामिल है। इन न्यायालयों में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद के बराबर के एक-एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गए हैं।

इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं:-

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	2
2.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1
3.	स्टेनो टाईपिस्ट	1
4.	वरिष्ठ सहायक-कम-रीडर	2
5.	अहलमद	2
6.	चालक	2
7.	दफ्तरी	3
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
9.	स्वीपर-कम-चीकीदार	1

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत की गई है। मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को श्रम विभाग इन न्यायालयों एवं न्याय प्राधिकरणों को न्याय निर्णय हेतु अधिसूचित करता है। इसके अतिरिक्त कामगार देय राशि भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र सीधे तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के अन्तर्गत दिये गए प्रावधानों के अनुरूप श्रम न्यायालय में दायर कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक प्राधिकरण की शक्तिया दी गई हैं जबकि कई अन्य राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक प्राधिकरण अलग-अलग हैं। श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत दावों पर भी निर्णय करता है।

उपरोक्त न्यायालय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर भी प्रदेश के मजदूरों के दावों की सुनवाई करके न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि कामगार जो दूर-दराज के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अपने मुकद्दमों की पैरवी के लिये शिमला/धर्मशाला नहीं आ सकते हैं। सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है, ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके। यह न्यायालय मजदूरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

1-4-2022 से 31-3-2023 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	विवरण	सन्दर्भ	आवेदन	जोड़
1.	31-03-2022 को लम्बित मामले	2084	647	2731
2.	1-4-2022 से 31-3-2023 तक प्राप्त मामले	184	532	716
3.	31-03-2023 तक कुल मामले	2268	1179	3447
4.	1-4-2022 से 31-3-2023 तक निपटाये गये मामले	580	559	1139
5.	31-3-2023 तक लम्बित मामले	1688	620	2308

विभाग में वर्ष 1994 में विधि सहायक का पद उपलब्ध करवाया गया जो कि वर्ष 2007 में विधि कक्ष की स्थापना की गई जो कि माननीय न्यायालय के मामलों में एवं शाखा अधिकारी की आवश्यकता अनुसार कानूनी सलाह प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग में विधि अधिकारी का एकमात्र पद है और उसे 01-04-2022 से 31-03-2023 की अवधि के दौरान विभिन्न न्यायालयों से कुल 122 मामले विधि अधिकारी को प्राप्त हुये।

दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 तक निदेशालय, श्रम एवं रोजगार, हि0 प्र0 के न्यायालय में मामलों का विवरण:-

क्रमांक	माननीय न्यायालय का नाम	31-03-2022 तक प्राप्त कुल मामले	01-04-2022 से 31-03-2023 तक कुल मामले	31-03-2023 तक प्राप्त कुल मामले	31-03-2023 तक कुल निपटारे गये मामले	31-03-2023 को कुल लम्बित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	42	1	43	26	17
2.	हि0 प्र0 उच्च न्यायालय	1137	117	1254	806	448
3.	हि0 प्र0 प्रशासनिक प्राधिकरण	157	0	157	58	99
4.	अवर श्रेणी न्यायालय	38	4	42	6	36
	कुल	1374	122	1496	896	600

अध्यादेश के माध्यम से श्रम कानूनों में संशोधन

भारत सरकार के अधीन श्रम मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार अध्यादेश के माध्यम से निम्नलिखित केन्द्रीय श्रम कानूनों में बिनेस रिफार्म एक्शन प्लान के तहत संशोधन किया गया है तथा तत्पश्चात् लागू भी कर दिया गया है।

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
2. श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

कारखाना अधिनियम, 1948

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) 1973 और संशोधन नियम, 1991 में संशोधन करके फिक्सड टर्म एम्प्लॉयमेंट को समाविष्ट करने के लिए संशोधन प्रस्ताव तैयार कर प्रशासनिक विभाग को भेजा गया है जो कि वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन है।

हिमाचल प्रदेश इंज ऑफ कम्प्लाइन्स टू मेन्टेन रजिस्टर अंडर वेरियस लेबर लॉज नियम, 2019 जो कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार बनाए गए हैं जिनमें श्रम कानूनों के अन्तर्गत रजिस्ट्रारों की संख्या को 55 से घटाकर 4 करने का प्रावधान निहित है, उसका प्रारूप प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को भेजा गया है जोकि आगामी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अध्याग-6

Budget & Actual Expenditure Statement Figures Demand No. 27- Labour and Employment & training						
Sr. No.	Head of Account	Sanctioned Budget 2022-23		Actual Expenditure 2022-23		
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	
1.	2230-Labour & Employment, 01-Labour, 001-Direction and Administration, 01-Staff at the Headquarter.					
		0	14594900	0	14225667	

2.	2230-Labour & Employment, 01-Labour, 101-Industrial Relations, 01-Enforcement of Labour Laws.			
	0	56802000	0	55887355
3.	2230-Labour & Employment, 01-Labour, 101-Industrial Relations, 02-Settlement of Disputes.			
	0	15699705	0	14139024
4.	2230-Labour & Employment, 01-Labour, 101-Industrial Relations, 03-Wage Board.			
	0	11000	0	9323
5.	2230-Labour & Employment, 01-Labour, 102-Working Condition and Safety, 01-Inspectorate of Factories.			
	0	1262818	0	1150110
6.	2230-Labour & Employment, 02- Employment, 001-Direction and Administration, 01-Staff at the Directorate of Employment.			
	0	9404832	0	9378815
7.	2230-Labour & Employment, 02- Employment, 004-Research & Survey, 01-Collection of EMI.			
	0	5974912	0	5829568
8.	2230-Labour & Employment, 02- Employment, 101-Employment Service, 01-Extension Coverage of Employment Service.			
	0	119028000	0	118405404
9.	2230-Labour & Employment, 02- Employment, 101-Employment Service, 02-Vocational Guidance & Employment Counseling.			
	0	4932578	0	4522015
10.	2230-Labour & Employment, 02- Employment, 101-Employment Service, 03-University Employment Information & Guidance Bureau.			
	0	1237000	0	1243077
11.	2230-Labour & Employment, 02- Employment, 101-Employment Service, 05-Special Employment Exchanges for Schedule Caste.			
	0	763935	0	760479
12.	2230-Labour & Employment, 03- Training, 003-Training of Craftsmen & Supervisors, 09-Skill Development Allowance.			
	517365340	0	339617727	
13.	2230-Labour & Employment, 02- Employment, 101 Other Expenditure, 07-Unemployment Allowance.			
	158500000	0	157278723	0
14.	2059-Minor works-01- Office Building, 053- Maintenance & Repair, 42- Expenditure on Maintenance and Repair works of Labour & Employment Department.			
	0	1001000	0	1000000
15.	2059- Public Construction Works, 01- Office Building, 053- Maintenance & Repair, 96- Expenditure on Maintenance and Repair works of Labour & Employment Department.-			
	0	0	0	0
16.	4250- Capital Outlay, 00-Expenditure on Other Services, 201-Labour, 01-Building			
	10300000	0	10300000	0
17.	2235- Pensioner of Labour and Employment,			
	0	4270000	0	4240997

18.	2230-Labour & Employment, 03- Training,003- Training of Craftsmen & Supervision, 14- Industrial Skill Development Allowance.			
	23000000	0	13594000	0
19.	2230-02- Employment, 101- Employment Services, 08- Dhristi Patra Scheme.			
	6600000	0	0	0
	Total	715765340	234982680	520790450
			230791845	

Budget & Actual Expenditure Statement Figures Demand No. 31- Tribal Development					
Sr. No.	Head of Account	Sanctioned Budget 2022-23		Acutal Expenditure 2022-23	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01- Labour, 796, Tribal Area-Sub-Plan, 01- Expenditure on inforcement of Labour Laws				
		0	3082051	0	2934668
2.	02- Employment, 796- Tirbal Area Sub-Plan, 01- Expenditure on Employment Services				
		0	7161356	0	6442504
3.	03- Training, 796, Tribal Area Sub Plan, 06-Skill Development Allowance				
		5560000	0	4739339	0
4.	2230-Labour & Employment, 02-Employment Services, 796-Tribal Area Sub-Plan, 02- Unemployment Allowance.				
		10157000	0	7482196	0
5.	2230-Labour & Employment, 02-Employment Services, 796-Tribal Area Sub Plan, 03-Drishti Patra Scheme(SOON) (Dev. Program)				
		0	0	0	0
	D. No. 31 Grand Total	15717000	10243407	12221535	9377172

Centrally Sponsored Schemes (100% Plan Central) D. No.27					
Sl. No.	Head of Account	Sanctioned Budget 2022-23		Acutal Expenditure 2022-23	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	2230-Labour and Employment, 02-Employment, 101-Employment Services, 04-Model Career Center (COON) Plan				
	Office Expenses	394000	0	394000	0
	Minor Works	0	0	0	0
	Rem. to Out Sources	0	0	0	0
	Grand Total	394000		394000	

Centrally Sponsored Schemes (100% Plan Central) D. No. 27

Sl. No.	Head of Account	Sanctioned Budget 2022-23		Actual Expenditure 2022-23	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	2230-01- Labour, 112- Rehabilitation of Bonded Labour, 01- Assistant for Rehabilitation of bonded Labour(COON) Plan				
	Other Charges	1900000		0	0
	Grand Total	1900000		0	

Centrally Sponsored Schemes (100% Plan Central) D. No. 31

Sl. No.	Head of Account	Sanctioned Budget 2022-23		Actual Expenditure 2022-23	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	2230-Labour & Employment, 02-Employment Services, 796-Tribal Area Sub Plan, 04- Model Career Centre(COON).				
	Office Expenses	100000		0	0
	Grand Total. .	100000		0	

Budget & Actual Expenditure Statement Figures Demand NO. 32- Schedule Caste Development Plan.

Sr. No.	Head of Account	Sanctioned Budget 2022-23		Actual Expenditure 2022-23	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	2230- Labour and Employment 02- Employment, 789, Schedule Caste Development Programme, 01- Unemployment Allowance Scheme(Dev. Progm)(SOON)				
		60100000		59825425	0
2.	2230- Labour and Employment 03- Training , 789, Schedule Caste Development Programme, 06- Skill Development Allowance Scheme(Dev. Progm.) (SOON)				
		250800000		138754231	0
3.	4250- Capital Outlay, 00- Expenditure on Other Services, 789- Labour-01- Building.				
		1200000		1200000	0
4.	2230- Labour and Employment 02- Employment-789 -Schedule Caste Development Programme 03- Drishti Patra Scheme				
		2500000		0	
	D. No. 32 Grand Total	314600000		199779656	0

Receipts Major Head-0230 Financial Year 2022-23

Sr. No.	Head of Account	Estimated Receipt (in Rs.)	Actual Receipt (in Rs.)
1	2	3	4
1.	0230-00-101 receipt under Labour Laws-01-under Labour Laws	29000	108778
2.	0230-00-102 Fee for Registration of Trade Union-01 Fee for Registration of Trade Union Act, 1926	13000	1457
3.	00-104-Fee released under Factory Act-01-Fee Released under Factories Act, 1948.	49764000	28724886
4.	00-106-Fee under Contract Labour Act, 01-Fee under Labour Act.	952000	1491511
5.	00-800-Other Receipts, 01-Fee released under Motor Transport Workers Act.	238000	183101
6.	00-800-Other Receipts, 02-Fee released under Shops and Commercial Estt. Act.	7144000	6481916
7.	00-800-Other receipts, 05-Recovery of over payment Employment Department.	595000	545071
8.	00-800-Other receipts, 07-Other Miscellaneous receipts- Employment Department	1191000	814173
9.	00-800-Other receipts, 10-Reg. Fees other receipts and collection charges of cess realized under BOCW Act.	7053000	16515823
10.	00-800-Other receipts, 11-Appeal fee as per provision of BOCW Welfare Cess Act and Rules.	179000	65338
11.	00-800-Other receipts, 12-fine imposed under building under BOCW Regulation of Employment and Condonation of Service Act, 1996.	297000	9
Grand Total		67455000	54932063

RIGHT TO INFORMATION
Government of Himachal Pradesh
Department of Labour & Employment

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 10th April, 2007

No. Shram (A)4-2/2005.—In exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Right of Information Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the records and other activities of the Labour & Employment Department, as under :—

1.	The particulars of its organisation, functions and duties	The Department of Labour & Employment came into existence in 1972 after segregation from Industries Department. It is mainly responsible for implementation of various Labour Laws (27 Central & 2 State Acts) and for providing employment assistance to job-seekers. The Department has been playing the role of a facilitator and regulator. It comprises of 3 wings—Labour, Factories & Employment. The Labour wing is primarily looking after the welfare, health & safety of the workers in the industrial and commercial establishments. It is also responsible for maintaining industrial peace and harmony between the managements and the workers. The Factory Wing is responsible for approval of Building Plans of factories, issue and renewal of factory licence and inspection of factories to ensure compliance of provisions regarding health, safety and welfare of factory workers. The Employment wing helps the interested job seekers and other persons interested in self employment by way of registration, sponsoring and by providing vocational guidance and career counselling.
2.	The powers and duties of its officers and employees.	<p>Cases which are disposed off at the level of Secretary (Lab and Emp.) Govt. of HP :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Establishment matter relating to Lab. & Emp. Deptt. (ii) Lok Sabha/Rajya Sabha Questions (iii) Court Cases (iv) Budget, Financial Matter/Expenditure sanctions (v) Publication of Awards <p>Deputy Secretary :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) All correspondence relating to personnel matters/ financial sanctions etc. are routed through him to the Secretary. (ii) Public representations received in this office are forwarded to the concerned departments for report and appropriate action. <p>Section Officer :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) To supervise all the work relating to personnel/budget and public representative etc. (ii) To ensure all the Dealing Asstt. and Diarist are maintaining all required registers and keep the same updated. (iii) To keep carefully watch on the movements of dak files between section and higher authorities.

	<p>(iv) To ensure timely submission of time bound cases/Court cases.</p> <p>(v) To ensure that all manuals, rules, inspections, guard files etc. of the section are kept up to date.</p> <p>Superintendent :</p> <p>(i) To supervise all the work of dealing Asstts. under their control.</p> <p>(ii) To ensure timely submission of all papers according to their priority.</p> <p>Sr./Jr. Asstt. :</p> <p>(i) Opening/maintaining of files and noting and drafting upto date of various types of data and maintenance of various registers.</p> <p>(ii) Establishment matters including R & P Rules, maintenance of service books, service records, leave account, pension cases, disciplinary matters, pay fixation, finalisation of seniority, court cases and other misc. matters.</p> <p>Clerk :</p> <p>(i) Diary and despatch/movement of files weekly & monthly statements etc.</p> <p>(ii) Maintenance of leave account and other misc. work entrusted by the S.O.</p>
3.	<p>The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.</p> <p>All the cases in the Branch are submitted on file by the concerned Dealing Asstts. supervised by the Supdt. and submitted to the S.O. He submits it further to the Under Secretary then to the Secretary. Routine matters and informatory references are disposed off at S.O./Under Secretary level. Financial matters/expenditure sanctions, decision taking power vests with the Secretary.</p>
4.	<p>The norms set by it for the discharge of its functions.</p> <p>As stated at Point No. 2 & 3.</p>
5.	<p>The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control.</p> <p>The various rules & regulations/instructions followed are as under:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HPFRs 2. CCS & CCA Rules 3. Conduct Rules 4. Medical Attendance Rules 5. Delegation of financial powers 6. LTC Rules/GPF Rules/Pension Rules etc. 7. R & P Rules 8. Office Manuals
6.	<p>Statement of the categories of the documents that are held by it or under its controls.</p> <p>N.A.</p>
7.	<p>The particulars of any arrangement that exists for consultation with representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof.</p> <p>N.A.</p>

8.	A statement of the Board, Councils Committee & Other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those Boards/ Councils/Committee and other Bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.	N.A.
9.	A directory of its officers and employees.	1. Secretary (Lab & Emp.)- Ph. No. 2621876, 2880735 2. Deputy Secretary: Ph. No. 2628499, 2880527 3. Senior Private Secretary/P.A.: Ph. No. 2621876, 2880735 4. Section Officer: Ph. No. 2880444 5. Superintendent: Ph. No. 2880544 6. Sr. Asstts.: Ph. No. -do- 7. Jr. Asstt.: Ph. No. -do- 8. Clerks: Ph. No. -do- 9. Peon.: Ph. No. -do-
10.	The monthly remuneration received by each of its officer and employees including the system of compensation as provided in its Regulation.	N.A.
11.	The Budget Allocated to each of its agency indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made.	N.A.
12.	The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	N.A.
13.	Particulars of recipients of concessions permits or authorizations granted by it.	N.A.
14.	Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form.	N.A.

15.	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained for public use.	N.A.
16.	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.	This department <i>vide</i> Notification dt. 31-10-05 has already designated the officers of the Lab. and Employment Deptt. as Appellate Authority/Public Information Officer. The said information is also available on the official website of the State Government.
17.	Such other information as may be prescribed.	The list of all the Acts and Rules which are pertaining to the L & E Deptt. is available on the Website of the Deptt.

By order,
Sd/-
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of H.P.
the 10th April, 2007

Endst. No. Shram (A) 4-2/2005
Copy to:—

Shimla-2,

1. The Principal Secretary (AR) to the Govt. of H.P., Shimla-2.
2. All the Admn. Secretaries, H.P., Shimla-2.
3. All the HOD's in H.P.
4. All Div. Commissioners/DCs in H.P.
5. The Controller, P & S, H.P. Shimla-5 for publication in the Rajpatra (Extra ordinary).
6. Guard File.

Sd/-
Deputy Secretary (Lab. & Emp.)
to the Government of H.P.

अध्याय-8

Government of Himachal Pradesh
Directorate of Labour & Employment

OFFICE ORDER

Shimla-171 001, 19th March, 2019

No. Shram(Prastha)11/05.—The particulars of the organization, functions and duties etc. required to be published as per provisions of Sub-Section (1)(b) of Sec. 4 of the Right to Information Act, 2005 are as under:—

(I) Particulars of Labour & Employment Department, its functions & duties :

The Department is regulatory in nature and primarily concerned with ensuring the implementation of Labour Acts (26 Central & 2 of the State) and of the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 and Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Participations) Act, 1995. The Labour Wing of the department is primarily responsible for implementation /enforcement of Labour Laws and maintaining Industrial Peace. The Factory Wing is looking after the Registration of Factories, Welfare & Safety of Workers working in such Factories. The Employment Wing gives Employment Assistance, primarily to the youth.

The names of the Labour Acts are as under:—

1. Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976
2. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970

3. Child Labour (Regulation and Prohibition) Act, 1986
4. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.
5. Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act, 1981.
6. The Building and Other Construction Workers Cess Act, 1996
7. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952
8. Employees State Insurance Act, 1948
9. Equal Remuneration Act, 1976
10. Factories Act, 1948
11. Industrial Dispute Act, 1947
12. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
13. Interstate Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.
14. The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988.
15. Maternity Benefit Act, 1961
16. Minimum Wages Act, 1948
17. Motor Transport Workers Act, 1961
18. Payment of Bonus Act, 1965
19. Payment of Gratuity Act, 1972
20. Payment of Wages Act, 1936
21. Plantation Labour Act, 1951
22. Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976
23. Trade Unions Act, 1926
24. Working Journalists and other Newspapers Employees (Condition of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955.
25. Workman Compensation Act, 1923
26. Employment Exchanges (Compulsary Notification of Vacancies) Act, 1959
27. Persons with Disabilities (Full Participation, Equal Opportunities & Protection of Rights) Act, 1995.

State Acts :

1. Himachal Pradesh Shops & Commercial Establishments Act, 1969
2. H.P. Industrial Establishments (National & Festivals Holidays, Casual & Sick Leave) Act, 1969.

(II)

Powers and duties of Officers and Employees :

Labour Commissioner-cum-Director of Employment is also the Chief Inspector of Factories, Registrar of Trade Unions, Chief Inspector of Shops and Conciliation Officer under Industrial Disputes Act, 1947.

The Directorate monitors the working of the field offices. Registration of Factories is done under the Factories Act, 1948 and disputes are referred to the two Labour Courts-cum-Industrial Tribunals in H.P. at Shimla and Dharamshala under the Industrial Disputes Act, 1947, Registration of Trade Unions is done under the Trade Union Act, 1926 Registration of Motor Transport is done under Motor Transport Act Prosecution sanctions are given to the field functionaries to launch prosecution against the defaulters under various Labour Laws.

Employment Assistance is provided to Physically Handicapped and sponsoring of skilled registrants to private sector, inspection of subordinate offices and Establishments in Private and Public Sector.

POWER & DUTIES

Labour Commissioner:

Labour Commissioner is functioning as Chief Inspector of Factories, Chief Inspector of Shops and Commercial Establishments under the respective Acts. The Labour Commissioner is also functioning as Conciliation Officer under the Industrial Disputes Act,

1947 and Registrar Trade Unions under the Trade Unions Act, 1926. The Labour Commissioner also functions as Inspector under the various Labour laws and the Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Order) Act.

Joint Labour Commissioner:

The Joint Labour Commissioner is functioning as Additional Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948 and the Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Orders) Act, Appellate Authority under the Payment of Gratuity Act and also functioning as Inspector under various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act, 1947 for whole H.P.

Deputy Labour Commissioner:

The Deputy Labour Commissioner is functioning as Deputy Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948, Appellate Authority under the Contract Labour Act (R&A) Act, 1970, Registering Officer under the Motor Transport Worker Act, 1961 and also functioning as Inspector under the various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act, 1947 for whole H.P.

Labour Officers & Labour Inspectors:

Labour Officers and Labour Inspectors are also Conciliation Officers for Industrial Disputes. Labour Officers act as controlling authority to decide claims of gratuity under Payment of Wages Act, 1970. Registration Officers and licensing officer under Contract Labour Act (R & A) Act, 1970 and Inter State Migrant Workmen (RECS) Act. Where there are more than 200 workers and Labour Officer is not posted in the District, there District Employment Officers discharge the duty of Conciliation Officer to try and resolve Industrial Dispute arising between management and workers. They also carry out Inspection of Public and Private Sector Units. Labour Officers and Labour Inspectors ensure implementation of Labour Acts including the shops registration, implementation of Minimum Wages and forwarding of cases regarding violation of provision of payment of wages, Gratuity, Bonus to Directorate for obtaining prosecution sanctions.

Deputy Director of Factories:

Deputy Director of Factories looks after Registration of Factories and Safety & Welfare of workers working therein.

EMPLOYMENT SECTION

At the Directorate Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment is assisted by Deputy Director Employment and by Employment Market Information Officer, State Vocational Guidance Officer, Officer-in-Charge (Placement), (Special Employment Exchange for Physically Handicapped) and Employment Officer (Central Employment Cell).

Regional Employment Officers and District Employment Officers give Vocational Guidance, Career Counseling and Employment Assistance for jobs in Private Sector and Govt. Sector as well as for self employment, to such persons who are residing in their territorial jurisdiction. They also inspect subordinate Employment Exchanges. Private and Public sector establishments in their districts are also inspected by them and Employment Officers, Superintendent Grade-II and Statistical Assistants. Incharges of Sub Office Employment Exchanges are also carrying out these functions except that of inspection. The two UEIGBs at HPU Shimla and Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Agriculture University Palampur are giving vocational guidance mainly to the respective University students.

Procedure followed in decision making process including channels of supervision and accountability:

All offices are working independently but under administrative control of next higher office. They can also be inspected by superior departmental officers. The office of Assistant Director of Factories Una, all University Employment Information Guidance Bureaus, Regional Employment Exchanges, District Employment Exchanges and office of Labour Officers are audited by A.G. Office from time to time.

- (IV) **The norms set by discharge of its function:**
Registration and renewal of registration in Employment Exchange is done on the same day and sponsoring of registrants is also done within scheduled time (Generally four weeks).
- (V) **The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control:**
Being a regulatory department it ensures the implementation of the Acts (and Rules) as mentioned at Sr. No. I hereinabove as also all rules and instructions of Himachal Pradesh Govt. applicable on the Departments.
- (VI) **Statement of the categories of the documents:**
A statement of the categories of the documents that are held by it or under its control. Files related to ensuring the implementation the Acts & Rules mentioned against Sl. No. (V) hereinabove. Also files related to Budget, Plan and Annual Administrative Report etc.
- (VII) **The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof:**
- (a) State Committee on Employment notified on 30-1-2006 comprising of Hon'ble Employment Minister as Chairman, 16 Members and Director of Employment as Member Secretary includes representatives of Employers workers as well as public representatives.
 - (b) District Committee on Employment notified on 30-1-2006 comprising of respective DCs as Chairman, 10 Members and respective REOs/DEOs as Member Secretary including representatives of employers, workers and public representatives.
 - (c) Minimum Wages Advisory Board constituted on 1-9-2003 comprising of Chairman, 37 Members and Member Secretary and constituted a committee on 30-1-2004 comprising of Chairman, 11 Members and Member Secretary.
 - (d) Expert Committee under Building and Construction Act constituted on 24th Sep., 2003 comprising of Chairman, 9 Member and Member Secretary.
 - (e) Regional Board for H.P. region under ESI Act, 1948 which consist of a Chairman, Vice-Chairman, 3 members, Ex-Officio Member, 2 Employees Representative, 6 Employers Additional Representative and Member Secretary.
 - (f) Regional Committee for State of H.P. under Employee Provident Fund Scheme, 1952 which consists of Chairman, 2 Official Members, 5 Members of Employers Representative, 5 Members of Employees Representatives.
 - (g) Three local committees under Regional Board constituted under ESI (Gen.) Regulation, 1950 consisting following members: Chairman, Member, Labour Inspector, Medical Officer, Incharge, 4 Members of Factory & Branch Manager, ESI Corporation.
 - (h) State Level Tripartite Committee which consist of Chaiman, Vice-Chairman, 14 Members and Member Secretary.
 - (i) State Advisory Contract Labour Board consisting Chairman, 7 members, Member Secretary.
 - (j) State Labour Welfare Board consisting Chairman (Hon'ble Chief Minister) 112 Members and Member Secretary.
- (VIII) **A statement of the board, councils committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.**

As mentioned against item No. (vii) hereinabove meetings are not open to public as such. However, due care has been taken to involve all the stake holders.

(IX) A Directory of Officers and Employees as on 31-03-2023:

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Office Telephone Nos.
1.	Sh. Rohit Jamwal, IAS	Labour Commissioner-cum-Director of Employment, H.P.	0177-2625085
2.	Sh. Munish Karol	Deputy Labour Commissioner, H.P.	0177-2624305
3.	Sh. A.K. Sood	Deputy Director Factories, New Himrus Building, HP, Shimla-1	0177-2624157
4.	Smt. Nirmal Gupta	Superintendent Grade-1, New Himrus Building, HP, Shimla-1	0177-2625277
5.	Sh. Rajesh Sharma	District Employment Officer, Himrus Building, HP, Shimla-1	0177-2625277
6.	Smt. Vijay Gupta	District Employment Officer, Himrus Building, HP, Shimla-1	0177-2624305
7.	Sh. Surinder Singh	Assistant Director Factories, Una Zone, District Una	01975-224095
8.	Sh. Anshul Kumar	District Employment Officer, Shimla	0177-2658174
9.	Sh. Akshay Kumar	District Employment Officer, District Mandi	01905-235508
10.	Sh. Shammi Sharma	District Employment Officer, Dharamshala, District Kangra	01892-224892
11.	Sh. Sandeep Thakur	District Employment Officer, District Solan	01792-227242
12.	Sh. Akshay Sharma	District Employment Officer, District Nahan	01702-222274
13.	Sh. Rajesh Mehta	District Employment Officer, District Bilaspur	01978-222450
14.	Smt. Manorma Devi	District Employment Officer, District Kullu.	01902-222522
15.	Smt. Anita Gautam	District Employment Officer, District Una	01975-226063
16.	Sh. Rajesh Mehta	District Employment Officer and Holding the additional charge of District Employment Officer, Hamirpur	01972-222318
17.	Sh. Arvind Singh Chauhan	District Employment Officer, District Chamba	01899-222209
18.	Sh. Khushvinder CDPO	District Employment Officer, Keylong, District Lahaul & Spiti	01900-222252
19.	Smt. Seema Gupta	District Employment Officer, Kinnaur	01786-222291
20.	Sh. Chander Mani Sharma	Labour Officer, Shimla	0177-2624706
21.	Sh. Pitamber Dutt Sharma	Labour Officer, Rampur, District Shimla	01782-234286
22.	Sh. Raj Kumar Sharma	Labour Officer, Dharamshala, Distt. Kangra	01892-225329
23.	Sh. Jatinder Bindra	Labour Officer, District Nahan	01702-226144
24.	Smt. Bhawna Sharma	Labour Officer, District Mandi	01905-235542
25.	Sh. Ashwani Kumar	Labour Officer, District Bilaspur	01978-221516
26.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer, District Chamba	01899-223233
27.	Smt. Bhawna Sharma	Labour Officer and holding the additional charge of Labour Officer, Kullu	01902-223698
28.	Sh. Prithvi Singh	Labour Officer Solan	01792-227076
29.	Sh. Pitamber Dutt Sharma	Labour Officer and holding the additional charge of Labour Officer, Kinnaur	01786-222007
30.	Sh. Surinder Bisht	Labour Officer Baddi, District Solan	01795-271210
31.	Sh. Sohan Lal Jalota	Labour Officer, District Una	01975-224243

- (X) The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the systems of compensation as provided in its regulations as per revised Pay Scale Under HP CS (RP) Rules, 2022.

Post	Pay Scale
Labour Commissioner-cum-Director of Employment, IAS	Level-13 (123100-215900)
Deputy Director of Factories	Level-24 (91500-203400)
Joint Labour Commissioners	Level-21 (67400-201200)
Deputy Labour Commissioner	Level-17 (53600-170100)
Deputy Director of Employment	Level-17 (64500-198300)
District Employment Officers	Level-17 (53600-170100)
Superintendent Grade-I	Level-16 (48700-154300)
Labour Officers	Level-13 (46000-146500)
Employment Officers	Level-13 (46000-146500)
Law Officer	Level-12 (43000-136000)
Superintendent Grade-II	Level-12 (43000-136000)
Personal Assistant	Level-12 (43000-136000)
Senior Scale Stenographer	Level-11 (38500-122700)
Statistical Assistant	Level-11 (38500-122700)
Senior Assistant	Level-11 (38500-122700)
Labour Inspectors	Level-10 (38100-120400)
Computer Operator	Level-9 (35600-112800)
Junior Assistant	Level-7 (28900-91600)
Junior Scale Steno	Level-7 (28900-91600)
Driver	Level-5 (21300-67800)
Steno-typist	Level-5 (21300-67800)
JOA (IT)	Level-4 (20600-65500)
Clerk	Level-3 (20200-64000)
Daftri	Level-2 (18400-58500)
Peon, Chowkidar & Sweeper	Level-1 (18000-56900)
Frash	Level-1 (18000-56900)

- (XI) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;
Standard Object of Expenditure-wise budget is allocated to each Drawing and Disbursing Officer and expenditure is regularly monitored.
- (XII) The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details beneficiaries of such programmes:
Not Applicable.
- (XIII) Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it.
Not Applicable.
- (XIV) Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic Form:
Registration record of Regional Employment Exchange Shimla, Registration record of Central Employment Cell at Directorate, Salary disbursement at Directorate.
- (XV) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained, for public use.
- (XVI) The offices of the department are open to citizens for obtaining information on all working days, especially on all working Mondays when officers are available for meeting the citizens.
The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.
Name of Department: Labour & Employment, Himachal Pradesh.

Detail of PIO & Appellate Authority as on 31-03-2022

Sl. No.	Name of the PIO	Designation	Complete Office Address	Office Telephone Nos.
PIO				
1.	Sh. Munish Karol	Deputy Labour Commissioner	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2624305
2.	Sh. A.K. Sood	Deputy Director Factories	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2624157
3.	Smt. Nirmal Gupta	Superintendent Grade-1	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2625277
4.	Sh. Rajesh Sharma	District Employment Officer.	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P., Shimla-1.	0177-2625277
5.	Smt. Vijay Gupta	District Employment Officer.	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P., Shimla-1.	0177-2624305
6.	Sh. Surender Singh	Assistant Director Factories	Assistant Director Factories Una	01975-224095
7.	Sh. Anshul Kumar	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, U.S. Club, Shimla	0177-2658174
8.	Sh. Akshay Kumar	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Mandi	01905-235508
9.	Sh. Akshay Kumar	District Employment Officer and holding the additional charge of Regional Employment Exchange, Dharamshala	Regional Employment Exchange, Dharamshala.	01892-224892
10.	Sh. Sandeep Thakur	District Employment Officer	District Employment Exchange, Solan	01792-227242
11.	Sh. Akshay Sharma	District Employment Officer	District Employment Exchange, Sirmaur at Nahan	01702-222274
12.	Sh. Rajesh Mehta	District Employment Officer	District Employment Exchange, Bilaspur.	01978-222450
13.	Smt. Manorma Devi	District Employment Officer	District Employment Exchange, Kullu.	01902-222522
14.	Smt. Anita Gautam	District Employment Officer	District Employment Exchange, Una	01975-226063

15.	Sh. Rajesh Mehta	District Employment Officer and holding the additional charge of District Employment Officer, Hamirpur	District Employment Exchange, Hamirpur.	01972-222318
16.	Sh. Arvind Singh Chauhan	District Employment Officer.	District Employment Exchange, Chamba.	01899-222209
17.	Sh. Khushvinder	CDPO and holding the additional charge of District Employment Officer Lahaul & Spiti at Keylong	District Employment Exchange, Lahaul & Spiti at Keylong	01900-222252
18.	Smt. Seema Gupta	District Employment Officer	District Employment Exchnage, Kinnaur	01786-222291
19.	Sh. Chander Mani Sharma	Labour Officer	Labour Office, Shimla	0177-2624706
20.	Sh. Pitamber Dutt Sharma	Labour Officer	Labour Office, Rampur	01782-234286
21.	Sh. Raj Kumar Sharma	Labour Officer	Labour Office, Dharamshala	01892-225329
22.	Sh. Jitender Bindra	Labour Officer	Labour Office, Nahan	01702-226144
23.	Smt. Bhawna Sharma	Labour Officer	Labour Office, Mandi	01905-235542
24.	Sh. Ashwani Kumar	Labour Officer	Labour Office, Bilaspur	01978-221516
25.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer	Labour Office, Chamba	01899-223233
26.	Smt. Bhawna Sharma	Labour Officer and holding the additional the additional charge of Labour Officer, Kullu	Labour Office, Kullu	01902-223698
27.	Sh. Prithvi Singh	Labour Officer	Labour Office, Solan	01792-227076
28.	Sh. Pitamber Dutt Sharma	Labour Officer and holding the additional charge of Lbour Officer, Kinnaur	Labour Officer, Kinnaur	01786-222007
29.	Sh. Surinder Singh Bisht	Labour Officer	Labour Officer, Baddi	01795-271210
30.	Sh. Solan Lal Jalota	Labour Officer	Labour Officer, Una	01975-224243

B. Appellate Authority

1.	Sh. Rohit Jamwal, IAS.	Labour Commissioner-cum-Director of Employment, H.P.	New Himrus Bhawan, Shimla-171001.	0177-2625085
----	------------------------	--	-----------------------------------	--------------

(XVII) Such other information may be prescribed; and thereafter update those publications every year.



अदिपुत्राजित

राजकीय मुद्रणालय, डि० प्र०, शिमला-1725-एल.सी./2023-24
Health & Family Welfare,
SJE, and Labour-Employment Minister
Himachal Pradesh